मई 2018 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

ओमान की चट्टानों में कार्बन खनिजीकरण (carbon mineralization)

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ओमान की चट्टानों में **कार्बन खनिजीकरण (carbon mineralization)** की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार हो सकती है।

- अरब प्रायद्वीप चट्टानों में स्थित ओमान की शुष्क विशाल चट्टानें प्राकृतिक रूप से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और इसे पत्थर में बदलते हैं।
- इस प्राकृतिक प्रक्रिया को **कार्बन खनिजीकरण** कहा जाता है।
- कार्बोनेट से घिरे कंकड़ और कोयले के टुकड़े सामान्य बजरी को प्राकृतिक मोज़ेक में बदल रहे हैं।
- कार्बन कैप्चरिंग फॉर्मेशन में **पेरिडोटाइट** नामक चट्टान मुख्य रूप से शामिल होती है, जो समुद्री सागर से जुड़े टुकड़े होते हैं।
- उत्तरी कैलिफ़ोर्निया, पापुआ न्यू गिनी और अल्बानिया में अन्य स्थानों पर भी पेरिडोटाइट की इसी प्रकार की छोटी मात्रा पाई जाती है।

पश्चिमी घाट में सोनरीला (Sonerila) पादप की खोज

हाल ही में पश्चिमी घाट में विभिन्न प्रजातियों के पौधों की खोज की गई है।

- छह प्रजातियों में दो झाड़ियाँ, दो ब्लोसम मिंट परिवार (लैमियासी) से, जबकि एक जड़ी बूटी कॉफ़ी परिवार (रूबियासी) से संबंधित है और एक फूल पौधा सोनरीला (10 सेमी लंबा) की खोज की गई है।
- कोझिकोड इस नई ब्लोसम सोनरिलस प्रजाति का घर है, जहाँ यह कक्कयम के सदाबहार जंगल में गीली, चट्टानी सतहों से पाई गई है।
- इस पुष्पीय पौधे की प्रजाति आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- कुछ सोनरिलस को सजावटी पौधों के रूप में भी जाना जाता है।
- सोनरीला लेटरिटिका (**Sonerila lateritica**) चट्टानों में उगने वाली जंगली जड़ी-बूटी है, जिसे केरल के कोझिकोड ज़िले के पोंकुनु की पार्श्व पहाड़ियों में खोजा गया है।

स्पेसक्राफ्ट इनसाइट

हाल ही में अमेरिका के पश्चिमी तट से नासा पहला स्पेसक्राफ्ट इनसाइट लॉन्च करेगी।

- स्पेसक्राफ्ट इनसाइट को कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग वायुसैनिक अड्डे के कॉम्प्लेक्स-3 नामक स्पेसलॉन्च से छोड़ा जाएगा।
- इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य मंगल पर भूकंप और ताप की जाँच करना है अर्थात् यह मंगल की गहन आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा।
- यह स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य ग्रह पर भूकंप को मापने के लिये बनाए गए यन्त्र को मंगल ग्रह पर प्रतिस्थापित करेगा जिसके माध्यम से मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप से उत्पन्न होने वाली सिस्मिक तरंगों के उपयोग से ग्रह के आंतरिक नक़्शे बनाने में मदद मिलेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- गौरतलब है कि यह पश्चिमी तट से लॉन्च किया जाने वाला पहला मिशन है। अब तक अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर (फ्लोरिडा) से ही अधिकांश इंटरप्लेनेट्री मिशन लॉन्च किये जाते थे।
- इसके साथ ही यह क्यूबसेट तकनीक पर आधारित पहला अंतरिक्ष परीक्षण होगा।
- इसके माध्यम से भविष्य के मिशनों हेतु संचार और नौवहन क्षमताओं को जाँचा जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस

1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर गूगल ने दुनिया भर के श्रमिकों को याद करते हुए विशेष डूडल तैयार किया। इस डूडल में हर क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के उपकरणों को शामिल किया गया। गूगल द्वारा किताब, चम्मच, पाइप, सुरक्षा हेलमेट, बैटरी, नट बोल्ट जैसी छोटी-छोटी चीजों को शामिल करते हुए यह डूडल तैयार किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की शुरुआत **1** मई, **1886** से हुई। **1886** में अमेरिकी मज़दूर संघों द्वारा यह निश्चय किया गया कि वे **8** घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी।
- इस हड़ताल के दौरान शिकागो के हेमार्केट में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें **100** से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना की प्रतिक्रिया में पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में मज़दूरों पर गोली चला दी गई और इसमें कई मज़दूरों की मौत हो गई।
- इसके बाद **1889** में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में हेमार्केट हत्याकांड में मारे गए निर्दोष श्रमिकों की याद में **1** मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। तब से दुनिया भर में यह दिवस सभी कामगारों व श्रमिकों के सम्मान में आयोजित किया जाता है।

भारत में मज़दूर दिवस की शुरुआत

- भारत में मज़दूर दिवस कामकाजी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान द्वारा **1** मई, **1923** को मद्रास में इसकी शुरुआत की गई। हालाँकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में मनाया गया था।

आईआईटी कानपुर का नया आविष्कार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईईइटी) कानपुर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने बिना लकड़ी के इस्तेमाल से ऐसा कागज निर्मित किया है, जिस पर कई बार लिखा जा सकता है। विशेष बात यह है कि इस पर लिखे शब्दों और चित्रों को सामान्य गीले कपड़े से साफ़ किया जा सकता है।

- आईआईटी कानपुर द्वारा इस खोज का पेटेंट करा लिया है, साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- इस कागज के निर्माण में रसायनों के अलावा पॉलीमर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है।
- वर्तमान में संस्थान में आयोजित सभी परीक्षाओं में इन्हीं कागजों का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न-पत्रों को तैयार किया गया है। परीक्षा के बाद छात्रों से इन प्रश्न-पत्रों को वापस ले लिया जाता है ताकि इनका पुन: इस्तेमाल किया जा सके।
- इतनी अधिक संख्या में इन कागजों को साफ करने के लिये सस्ते केमिकल की खोज कर रही है। हालाँकि पानी व गीले कपड़े से इस प्रिंटेड पेपर को साफ किया जा सकता है।
- डी-प्रिंटर बनाने के लिये सिंगापुर से करार कंप्यूटर से छपे खास तरह के पेपर को साफ करने के लिये डी-प्रिंटर बनाया जा रहा है।
- आईआईटी कानपुर और सिंगापुर के तकनीकी इंस्टीट्यूट से करार हुआ है। इसमें खास तरह की सस्ती स्याही का इस्तेमाल होगा, जो छपे हुए कागजों को फिर से साफ कर सकेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पुंगनूर नस्ल

आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का भोग चढ़ाने की परंपरा है। इस भोग को श्रीवारी कहा जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि यह भोग चढ़ाए बिना दर्शन पूरे नहीं होते हैं। इस भोग की विशेष बात यह है कि ये लड्डू केवल पुंगनूर नस्ल की गाय के दूध से बने मावे/खोये से तैयार किये जाते हैं। परंतु, समस्या यह है कि इस नस्ल की गायों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है, वर्तमान में इस नस्ल की बहुत कम गाय बची हैं। ऐसे में भोग की इस परंपरा को लेकर चिंता की स्थिति बन गई है।

- मुख्य समस्या यह है कि इस विशेष प्रकार की नस्ल की वंशवृद्धि नहीं हो पा रही है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में केवल **130** गाय ही बची हैं।
- इस समस्या की गंभीरता पर विचार करते हुए बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरोगेसी तकनीक के माध्यम से पुंगनूर गाय की वंशवृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।
- सरोगेसी तकनीक में परखनली विधि से नर-मादा (डोनर) के अंडाणु व शुक्राणुओं का मेल कराकर भ्रूण को किसी अन्य कोख (सरोगेट मदर) में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
- पुंगनूर नस्ल को डोनर के रूप में इस्तेमाल करते हुए पोंगुल नस्ल की गाय को सरोगेट माँ बनाया गया।
- विशेष बात यह है कि इस तकनीक से उत्पन्न हुए बच्चे में पुंगनूर (डोनर) के शत-प्रतिशत गुणसूत्र पाए गए हैं। इस तकनीक की सहायता से अभी तक पुंगनूर नस्ल की **20** बछिया पैदा की जा चुकी हैं।

गैनीमीड पर तूफानी पर्यावरण

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान 'गैलीलियो' से प्राप्त डेटा में बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमीड पर तूफानी पर्यावरण की जानकारी मिली है। 1995-2003 की अवधि के मध्य गैलीलियो प्रोब को ब्रहस्पति ग्रह की कक्षा में भेजा गया था। इसके बाद ब्रहस्पति ग्रह की परिक्रमा करने के लिये जूनो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया।

- 'गैलीलियो' ने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए आठ वर्ष बिताए हैं। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा के विषय में कई महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इससे प्राप्त नए डेटा में गैनीमीड के वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी कि गैनीमीड का सूर्योदय इतना चमकदार क्यों होता है।

बृहस्पति ग्रह

- बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अब तक **67** उपग्रह ज्ञात हैं, जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक हैं।
- 'गैनीमीड' बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। उल्लेखनीय है कि बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है।
- वृत्तीय प्रकाश (**Circular light**), अँधेरी पट्टी (**Dark band**) और बारह उपग्रहों द्वारा वृत्तीय रूप से घिरे रहना बृहस्पति की अद्वितीय विशेषताएँ हैं। बृहस्पति की ये विशेषताएँ उसे अन्य ग्रहों से विभेदित करती हैं।

भारत में पेरॉल रिपोर्टिंग (Payroll Reporting)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme) के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office - CSO) ने सितंबर 2017 से फरवरी 2018 तक की अवधि के लिये देश के रोज़गार आउटलुक (Employment Outlook) पर रिपोर्ट जारी की है। यह विशिष्ट आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिये चुनी हुई सरकारी एजेंसियों के साथ उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित है।

- रोज़गार सांख्यिकी की इस श्रृंखला में यह पहली रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित रोज़गार डाटा में सुधार लाने पर गठित कार्यबल की अनुशंसाओं का परिणाम है, जिसने अगस्त **2017** में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- एक अनुशंसा उच्च बारंबारता रोज़गार आँकड़े तैयार करने के लिये प्रशासनिक सांख्यिकी के उपयोग की खोज करने से संबंधित है।
- पहली रिपोर्ट में ईपीएफओ, ईएसआईसी एवं एनपीएस से प्रशासनिक रिकॉर्डों का उपयोग औपचारिक क्षेत्र में आँकड़ों को संकलित करने के लिये किया गया है और यह सितंबर **2017** से फरवरी **2018** की अवधि से संबंधित है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपए से दोगुना कर 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

- इसके साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को **4** मई, **2018** से बढ़ाकर **31** मार्च, **2020** करने की भी मंज़ूरी दी है।
- इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा योजना में प्रति परिवार **7.5** लाख रुपए की निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधित पीएमवीवीवाई में प्रति वरिष्ठ नागरिक **15** लाख रुपए कर दिया गया है।
- इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह **10,000** रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (**2014**) की तरह ही है, जिसे साल **2014-15** में लॉन्च किया गया था।
- इस स्कीम को सबसे पहले यूनियन बजट **2003-04** (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान लॉन्च किया गया था।
- पीएमवीवीवाई को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के ज़रिये क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- भारतीय नागरिक जो कि **60** वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं, वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश करने के पात्र हैं।
- इसके साथ ही **60** साल एवं उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अनिश्चित बाज़ार स्थितियों के चलते उनकी ब्याज आमदनी में किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- इस स्कीम के तहत **10** साल तक प्रति वर्ष **8** प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर एक निश्चित या आश्वासित पेंशन दी जाती है और इसमें मासिक/तिमाही/छमाही एवं वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प दिया गया है।
- रिटर्न में अंतर अर्थात् एलआईसी द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष **8** प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

'धड़कन' एप

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रुड़की) ने एक ऐसा मोबाइल एप तैयार किया है, जो हृदयाघात की आशंका होने पर मरीज़ और उसके चिकित्सक को पहले ही अलर्ट संदेश प्रेक्षित कर देगा। पूर्व जानकारी होने से समय रहते मरीज़ का जीवन बचाया जा सकेगा।

- आईआईटी रुड़की के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ग्रुप ने 'धड़कन' नामक एक मोबाइल एप बनाया है।
- इस एप के माध्यम से हृदय की समस्या से ग्रसित रहे मरीज़ों के रक्तचाप, हृदय गति की दर एवं वज़न में तीव्र बदलाव होने संबंधी जानकारी तत्काल प्रभाव से मरीज़ के डॉक्टर तक पहुँच जाएगी, जिससे समय रहते मरीज़ को बचाया जा सकता है।
- इस एप को मरीज़ और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर के मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा।
- आमतौर पर हार्ट फेल के खतरे से जूझ रहे मरीज़ों के रक्तचाप एवं हृदय गति की दर में एक सप्ताह में करीब दस फीसदी तक अंतर और वज़न एक किलो घट या बढ़ सकता है।
- आवश्यक होने पर इसके ज़रिये मरीज़ चिकित्सक को ईसीजी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विजय प्रहार

इन दिनों सूरतगढ़ (राजस्थान) के समीप महाजन रेंज में युद्धाभ्यास 'विजय प्रहार' के ज़रिये राजस्थान में तैनात सेना की दक्षिण-पश्चिम कमान के 20 हज़ार सैनिक दुश्मन के परमाणु हमले से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं।

- इस दौरान थलसेना के सैनिकों को वायुसेना के साथ तालमेल बैठाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस युद्ध्याभ्यास में अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है।
- युद्धाभ्यास पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी आक्रमण से निपटने के लिये किया जा रहा है।
- इसमें वायुसेना और थलसेना के जवान संयुक्त ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों, टैंकों व तोपों के साथ खुफिया सूचनाएँ, चौकसी व गहन सर्वेक्षण के बीच तालमेल बैठाने का अभ्यास कर रहे हैं।
- इस दौरान परमाणु हमले से निपटने हेतु सैटेलाइट, ड्रोन के उपयोग आदि का भी अभ्यास कराया जा रहा है।
- इस दौरान परमाणु युद्ध के हालातों का सामना करने के लिये अपनाई जाने वाली नीतियों को बेहतर बनाया जाएगा।
- इसके अलावा कमान के सैनिकों को फार्मेशन नेटवर्क केंद्रित वातावरण में अत्याधुनिक हथियारों के संवेदनशील उपकरणों का प्रयोग, लड़ाकू हेलिकॉप्टरों की तैनाती का भी अभ्यास कराया जा रहा है।

व्यू पेंशन पासबुक

अपने सदस्यों अथवा हितधारकों को विभिन्न तरह की ई-सेवाएँ मुहैया कराने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 'उमंग एप' के ज़रिये एक नई सेवा शुरू की है। 'व्यू पेंशन पासबुक' विकल्प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्म दिवस को दर्ज करना पड़ता है।

- इन जानकारियों का सफल सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद 'पेंशनर पासबुक' संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसका नाम, जन्मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियाँ दर्शाने लगेंगी।
- वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

उमंग एप के ज़रिये पहले से ही उपलब्ध ई-सेवाएँ

- ईपीएफओ की जो अन्य ई-सेवाएँ उमंग एप के ज़रिये पहले से ही उपलब्ध हैं, उनमें कर्मचारी केन्द्रित सेवाएँ (ईपीएफ पासबुक को देख पाना, क्लेम करने की सुविधा, क्लेम पर नज़र रखने की सुविधा), नियोक्ता केन्द्रित सेवाएँ (प्रतिष्ठान की आईडी के ज़रिये भेजी गई रकम का विवरण प्राप्त करना, टीआरआरएन की ताज़ा स्थिति से अवगत होना), सामान्य सेवाएँ (प्रतिष्ठान को सर्च करें, ईपीएफओ कार्यालय को सर्च करें, अपने क्लेम की ताज़ा स्थिति से अवगत हों, एसएमएस के ज़रिये खाते का विवरण प्राप्त करना, मिस्ड कॉल देकर खाते का विवरण प्राप्त करना), पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सेवाएँ (जीवन प्रमाण को अद्यतन करना) और ई-केवाईसी सेवाएँ ('आधार' से जोड़ना) शामिल हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसके विकास में पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अक्सर पत्रकारों की स्वतंत्रता के संबंध में सवाल खड़े होते हैं, पिछले कुछ समय से तो यह मुद्दा निरंतर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता को मद्देनज़र रखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है।

- यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के सुझाव के बाद वर्ष **1993** में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई, इसके कुछ समय बाद **3** मई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस को प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्त्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा में दिवंगत हुए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है।
- पिछले कुछ वक्त से पत्रकारों पर हमलों के मामलों में वृद्धि हुई है, इस कारण प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। विश्व में पत्रकारों की हत्या के मामले में **57** फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई हैं। पत्रकारों पर हमले के मामलों में अफगानिस्तान शीर्ष पर है।

बदलता मलेरिया का पैटर्न

हाल ही में विज्ञान पत्रिका 'प्लस वन' में प्रकाशित एक अध्ययन पत्र में यह बात सामने आई है कि भारत में मलेरिया के पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है। इस शोध पत्र के अनुसार, आमतौर पर भारत में पी (प्लाज्मोडियम) विवैक्स के मामले दर्ज किये जाते थे, जो कि मलेरिया का हल्का रूप होता है और इसका आसानी से इलाज भी हो जाता है, लेकिन अब बड़ी संख्या में पी (प्लाज्मोडियम) फल्सिपरम के मामले सामने आ रहे हैं। यह मलेरिया का एक भयंकर एवं घातक रूप है।

- मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के ज़रिये फैलता है और यह प्लाज्मोडियम परजीवी की चार अलग प्रजातियों/प्रकारों के कारण होता है - पी विवैक्स, पी फल्सिपरम, पी मलेरिए और पी ओवले। इन चारों में पी फल्सिपरम मलेरिया का सबसे घातक रूप होता है।
- भारत में मलेरिया के पैटर्न व वितरण को समझने के लिये आईसीएमआर (**Indian Council of Medical Research – ICMR**) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ (एनआइआरटीएच), जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा देश भर में अलग-अलग मलेरिया संक्रमणों की मैपिंग की जा रही है।
- इस शोध के दौरान यह पाया गया कि मलेरिया के संक्रमण के संबंध में मिश्रित संक्रमण का अनुपात सबसे अधिक पाया गया अर्थात् रोगी दो या दो से अधिक मलेरिया परजीवी प्रजातियों से संक्रमित थे।
- इसके अतिरिक्त एक और बात चिंता का विषय बन गई है। पहले जो मलेरिया प्रजाति किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित थी, अब वह अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है।
- पहले यह प्रजाति (पी मलेरिए) केवल ओडिशा तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूरे देश में हो रहा है और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि न तो इस प्रजाति की पहचान का कोई तरीका उपलब्ध है और न ही उपचार के कोई परिभाषित दिशा-निर्देश ही मौजूद हैं।
- भारत की योजना **2030** तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना है, लेकिन मलेरिया के पैटर्न में आने वाले इस परिवर्तन ने इस लक्ष्य की प्राप्ति को बेहद कठिन बना दिया है।
- इस समस्या के समाधान के लिये बेहद ज़रूरी है कि मिश्रित मलेरिया एवं पी मलेरिए के डायग्नोसिस और उपचार के तरीकों के विषय में और अधिक शोध किया जाना चाहिये। साथ ही इस संबंध में जल्द-से-जल्द परिभाषित दिशा-निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रोबो जगत में पिछड़ा भारत

इंटरनेशनल फेडरेडशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार, रोबोट कामगारों के मामले में भारत काफी पिछड़ा हुआ है। वर्तमान समय में रोबोट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में औद्योगिक उत्पादन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल और सेवाओं के निष्पादन तक में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा हैं।

- इस श्रेणी में दक्षिण कोरिया का शीर्ष स्थान है। वर्ष **2016** में यहाँ प्रति दस हज़ार कामगारों पर **631** औद्योगिक रोबोट थे। इनका प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में किया जा रहा था।
- इसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। यहाँ प्रति दस हज़ार कामगारों पर **488** औद्योगिक रोबोट हैं। **90** फीसदी रोबोट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जा रहा है।
- मोटर वाहन उद्योगों के क्षेत्र में रोबोट्स का इस्तेमाल सबसे अधिक जर्मनी और जापान द्वारा किया जाता है, यहाँ रोबोट का घनत्व प्रति दस हज़ार कामगारों पर **300** से अधिक है।
- विश्व में जापान औद्योगिक रोबोटों (**52** प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति) का प्रमुख निर्माता है।
- इन सबके इतर भारत की स्थिति बहुत अलग है। एक अनुमान के अनुसार, **2020** तक देश में **6,000** औद्योगिक रोबोट का प्रयोग किया जाने लगेगा।

राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र

हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (National Water Informatics Centre - NWIC) का निर्माण किया गया है। NWIC राष्ट्र व्यापी जल संसाधन डेटा का एक संग्राहक होगा और यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में काम करेगा। इस केंद्र का प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा।

- जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यंत जटिल एवं कठिन कार्य है, जिसमें बहु विषयक ज्ञान क्षेत्रों की विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है और यह ऐतिहासिक एवं वास्तविक समय वाले विश्वसनीय डेटा एवं सूचनाओं पर निर्भर रहता है।
- इसके लिये पहली आवश्यकता यह है कि एक व्यापक 'जल संसाधन सूचना प्रणाली (**Water Resources Information System - WRIS**) को विकसित कर उसका समुचित रख-रखाव एवं नियमित अद्यतन सार्वजनिक तौर पर किया जाए, ताकि जल संसाधनों के कारगर एकीकृत प्रबंधन के लिये जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सभी संबंधित हितधारकों को इसमें शामिल किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह वैज्ञानिक आकलन, निगरानी, प्रतिरूपण एवं निर्णय समर्थन प्रणाली (**Decision Support System - DSS**) और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (**Integrated water resource Management**) के लिये भी पहली आवश्यकता है।
- इसे ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआईसी द्वारा जल संसाधनों एवं संबंधित विषयों (थीम) पर अद्यतन डेटा का 'एकल खिड़की' **(Single Window)** स्रोत मुहैया कराए जाने की आशा है।
- इसके साथ ही **NWIC** द्वारा इसके प्रबंधन एवं सतत् विकास के लिये सभी हितधारकों को मूल्य वर्द्धित उत्पाद एवं सेवाएँ मुहैया कराने जाने की उम्मीद है।
- यह केंद्र जल एवं जल विज्ञान संबंधी चरम या भीषण स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन उपाय करने वाले अन्य केंद्रीय एवं राज्य संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

डकोटा डीसी 3 वीपी 905

हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नवीनीकृत डकोटा विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। इस विमान को चार दशक से भी अधिक समय पहले वायु सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

- अब इसे नया नाम "परशुराम" देकर पुन: लाया गया है।
- इस डकोटा डीसी-**3** वीपी-**905** विमान को कबाड़ से खरीदकर ब्रिटेन में नवीनीकृत कराया गया है।
- ब्रिटेन से भारत की यात्रा ने इस विमान की विश्वसनीयता और मजबूती को साबित कर दिया है।
- **1947** के युद्ध के अलावा **1971** के युद्ध में भारतीय सेना के लिये अहम भूमिका निभाने वाला डकोटा फायटर जेट एक बार फिर से वायुसेना में शामिल होने जा रहा है।

कॉन्टैक्ट लेंस में सुपरमैन की अद्भुत शक्ति

ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस विकसित किया गया है, जिसे पहनने से आँखों से रोशनी की किरणें निकलने लगेंगी। नेचर कम्यूनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन-पत्र के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा बेहद बारीक स्टिकर तैयार किये गए हैं, जिन्हें कॉन्टैक्ट लेंस पर लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, महान् दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि आँखों की बीम दृश्य धारणा की मध्यस्थता करती है। इस बीम के ज़रिये पर्यावरण की जाँच की जा सकती है।
- प्लेटो की धारणा को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्ताओं द्वारा आँखों में पहने जा सकने वाले यह उपकरण तैयार किये गए है, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपनी आँखों से लेज़र बीम छोड़ सकता है।
- यह लेज़र तकरीबन **20** इंच की दूरी तक छोड़ी जा सकती है। इस रोशनी को डिजिटल **0** और **1** के साथ एनकोड किया जा सकता है, जिससे इसे रोशनी आधारित बारकोड में तब्दील किया जा सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा स्कैनरों की जाँच की जा सकती है।
- इस कॉन्टैक्ट लेंस में इस्तेमाल की गई फिल्म किसी स्मार्टफोन स्क्रीन की तरह होती है, जो रोशनी के संपर्क में आते ही उसके पिक्सेल को सक्रिय कर देती है।
- कॉन्टैक्ट लेंस स्टिकर के पॉलिमर पर तेज़ रोशनी पड़ते ही फ्लूरोसेंस की तरह चमकने लगते हैं, जिससे लेज़र को रोशनी मिल जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पश्चिमी घाटों में साँप की नई प्रजाति

तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले में अनाकाटी (Anaikatty) पहाड़ियों के जंगलों में साँप की एक नई प्रजाति की खोज की गई। 40 सेमी. लंबा और चमकदार भूरे रंग के इस नए साँप को Uropeltis bhupathyi नाम दिया गया है। इसे यह नाम स्वर्गीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता एस. भूपति के नाम पर दिया गया है।

- यह सरीसृप केवल प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका में पाए गए साँपों के परिवार से संबंधित है।
- ये गैर-विषैले होते हैं और अधिकतर बुरोइंग (**burrowing)** और केंचुए खाते हैं। इनकी लंबी और सपाट पूँछ के कारण इन्हें **shieldtails** कहा जाता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, इस नई प्रजाति में **200** से अधिक तुला अर्थात् **scales** हैं।
- **scales** मछलियों और सरीसृपों की त्वचा की रक्षा करने वाली छोटी, पतली सींग के जैसी या हड्डी वाली परत् जो आमतौर पर एक-दूसरे को ओवरलैप करती है। यह इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है।
- यह खोज पत्र जुटाक्स (**Zootaxa)** नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस खोज के बाद **shieldtails** की ज्ञात प्रजातियों की संख्या **41** हो गई है।
- भारत में **300** से अधिक साँप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आण्विक फाईलोजेनेटिक्स (**molecular phylogenetics)** अर्थात् डीएनए-आधारित अध्ययन और समर्पित क्षेत्र सर्वेक्षणों (**dedicated field surveys)** के आगमन ने इस प्रकार की खोजों में एक बड़ी भूमिका निभाई है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इस साँप की खोज बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन उस समय तक इन्हें शील्डटेल की एक सामान्य प्रजाति माना जा रहा था, लेकिन इस विषय में किये गए अध्ययनों और शोध में यह बात सामने आई कि यह साँप की एकदम अलग प्रजाति है, जो पहली बार दुनिया के सामने आई है।

कोछलियर इंप्लांट जागरूकता कार्यक्रम
Cochlear Implant Awareness Programme

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) का दिव्यांगजन (Divyangjan) सशक्तीकरण भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society) एवं सर्वोदय हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र (Sarvodaya Hospital & Research Centre) के सहयोग से 6 मई, 2018 को फरीदाबाद (हरियाणा) में 'कोछलियर इंप्लांट जागरूकता कार्यक्रम' (Cochlear Implant Awareness Programme) का आयोजन किया गया। स्वर स्वागतम नाम का यह समारोह विभाग की एडीआईपी (Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances - ADIP) योजना के तहत, कोछलियर इंप्लांट कार्यक्रम के आम लोगों को जागरूक बनाने के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण है।

- कोछलियर इंप्लांट ऐसे बच्चों की सहायता करने की एक आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जिन्हें दोनों कानों से सुनने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- कोछलियर इंप्लांट महँगे होते हैं और सब के लिये इसका खर्च उठाना मुश्किल होता है।
- 'सबका साथ सबका विकास' को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डीईपीडब्ल्यूडी (**Department of Empowerment of Persons with Disabilities – DEPwD)** आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ गरीबों को भी उपलब्ध करा रहा है।
- इस दिशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने गरीब एवं ज़रूरतमंद बच्चों के लिये एड्स एवं एप्लायंसेज (एडीआईपी) की खरीद एवं फिटिंग के लिये सहायता की संशोधित योजना के तहत, कोछलियर इंप्लांट कार्यक्रम शुरू किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एक्सोप्लैनेट के पास हीलियम गैस

खगोलविदों को पृथ्वी के सौर मंडल से काफी दूर स्थित एक तारे की कक्षा में मौजूद एक ग्रह के वातावरण में हीलियम गैस के होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि खगोलविदों को किसी एक्सोप्लैनेट के समीप हीलियम गैस के होने की जानकारी मिली हो।

- ब्रिटेन स्थित एक्सेटर यूनिवर्सिटी की शोधकर्त्ता जेसिका स्पेक के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय दल द्वारा यह खोज की गई है। शोधकर्त्ताओं को पृथ्वी से **200** प्रकाश वर्ष दूर **Virgo constellation** में मौजूद सुपर नेपच्यून एक्सोप्लैनेट डब्ल्यूएएसपी **107**बी पर इस निष्क्रिय गैस की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं।
- नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन-पत्र के मुताबिक, इस एक्सोप्लैनेट पर हीलियम गैस की उपस्थिति की जानकारी सर्वप्रथम **2017** में प्राप्त हुई थी। हालाँकि, इसकी पुष्टि अब की गई है।
- ब्रह्मांड में हीलियम दूसरा सामान्य तत्त्व है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस (**Noble gas)** है।
- यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विष-हीन (नॉन-टॉक्सिक) होती है। इसका परमाणु क्रमांक **2** है।
- वैज्ञानिकों के कथनानुसार, हीलियम के सिग्नल बहुत मज़बूत होते हैं। इनकी मदद से अंतरिक्ष में हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित किसी ग्रह के ऊपरी वातावरण का पता लगाया जा सकता है।

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation — BRO)

सीमा सड़क संगठन 7 मई, 2018 को अपना संस्थापना दिवस मना रहा है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढाँचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी संगठन बीआरओ राष्ट्र की 58 वर्षों की गौरवशाली सेवा का समारोह मना रहा है।

- सीमा सड़क संगठन की स्थापना **7** मई, **1960** को हुई थी।
- इसका उद्देश्य शांतिकाल में सीमावर्ती इलाकों में जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास व रख-रखाव व सीमावर्ती राज्यों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान करना है। जबकि युद्धकाल में वास्तविक इलाकों से तथा पुनर्तैनाती इलाकों से नियंत्रण रेखा के लिये सड़क का विकास व देखभाल करता है।
- सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करना है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूमि स्खलन तथा चट्टानों के गिरते-टूटते रहने से सड़कें टूटती रहती हैं। इनको सुचारु बनाए रखने के लिये संगठन को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा युद्धकाल के दौरान विनिर्दिष्ट अन्य अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन भी करता है।

NASA का 'इनसाइट' मिशन

5 मई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह का आंतरिक अध्ययन करने के लिये अपने पहले मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन को इनसाइट (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) नाम दिया गया है।

- इसे कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग वायु सेना बेस से एटलस वी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया।
- नासा के अनुसार, इनसाइट एक प्रकार का लैंडर है, जो मंगल की सतह पर उतरेगा। यह एक प्रकार से वैज्ञानिक टाइम मशीन है।
- यह **4.5** अरब साल पहले हुई मंगल की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी प्रदत्त करेगा। इससे हमें धरती और चंद्रमा समेत सौर मंडलों के दूसरे ग्रहों की चट्टान संरचना के निर्माण के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- इसकी सहायता से वैज्ञानिक यह जान सकेंगे कि किस तरह से मंगल की बाहरी परतों एवं इसके आतंरिक भाग की संरचना पृथ्वी की संरचना से भिन्न है?

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इनसाइट की विशेषताएँ

- इनसाइट या इंटीरियर एक्सप्लोरेशन में आँकड़ों के संग्रहण के लिये कई प्रकार के संवदेनशील उपकरणों को स्थापित किया गया है।
- इसमें मंगल ग्रह पर भूकंप की जाँच हेतु अति संवेदनशील सिस्मोमीटर (**seismometer**) लगाया गया है। इस सिस्मोमीटर को फ्राँस के नेशनल स्पेस सेंटर द्वारा तैयार किया गया है।

यूरेनस ग्रह पर पाई गई तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त हाइड्रोजन सल्फाइड गैस

- इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने यूरेनस ग्रह पर एक अति दुर्गंध युक्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड की खोज की है।
- इसका पता हवाई द्वीप समूह स्थित जैमिनी नॉर्थ टेलिस्कोप द्वारा लगाया गया है।
- यूरेनस के वातावरण में शनि ग्रह की तुलना में चार गुना अधिक हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा पाई गई है।
- इस गैस की गंध सड़े अंडे से आने वाली तीव्र दुर्गंध जैसी होती है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी रहस्यों पर से पर्दा हटाने में मदद मिलेगी।
- यूरेनस आकार में पृथ्वी से चार गुना और और भार में **14** गुना अधिक है।
- इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसी अन्य गैसें भी मौजूद हैं।
- यह गहरे नीले रंग का कम चमक वाला ग्रह है। इस कारण इसे दूरबीन द्वारा अच्छी तरह से देखा जा सकता है।

विलुप्त होने के कगार पर दुनिया का सबसे दुर्लभ एप

- वैज्ञानिकों के अनुसार, तपानुली आरंगुटान (**Tapanuli Orangutan**) नामक सबसे दुर्लभ प्रजाति का एप लुप्त होने का खतरा मँडरा रहा है और इसे बचाए जाने हेतु निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- इस प्रजाति के **800** से भी कम सदस्य जीवित बचे हैं और उन पर भी शिकार, बड़ी परियोजनाओं, वनों की कटाई, सड़क निर्माण आदि के कारण संकट छाया हुआ है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इंडोनेशिया के सुमात्रा में चीन द्वारा एक बड़ी बाँध-परियोजना का निर्माण किये जाने की योजना है, जिसके कारण इस प्रजाति के आवास क्षेत्र का अहम हिस्सा जलमग्न हो जाएगा।
- यह अब तक खोजी गई ग्रेट एप की प्रजातियों में से केवल सातवीं प्रजाति है।
- यह प्रजाति सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पर सड़क जैसे पारगमन माध्यमों का अभाव रहता है।
- इस प्रजाति का प्राकृतिक आवास इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है।

3डी बायो स्किन प्रिंटर

- कनाडा के वैज्ञानिकों ने जलने या अन्य कारणों से बने घाव भरने के लिए एक **3**डी बायो स्किन प्रिंटर विकसित किया है। यह प्रिंटर मात्र दो मिनट में टिश्यू बनाकर जख्म पर प्रत्यारोपित कर देता है।
- कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा तैयार किये गए इस प्रिंटर का इस्तेमाल जलने से हुए ऐसे घावों को ठीक करने में किया जा सकता है, जिनमें त्वचा की तीनों सतह एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस क्षतिग्रस्त हुई हों।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वर्तमान में इनका इलाज स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफटिंग विधि से किया जाता था। इसमें स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को मरीज के एपिडर्मिस और डर्मिस पर प्रत्यारोपित किया जाता है।
- घाव को पूरी तरह से ढकने के लिये अधिक मात्रा में स्वस्थ त्वचा की जरूरत होती है, जो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग विधि से उपचार में समस्या आती है।
- फिलहाल जो **3**डी प्रिंटर मौजूद हैं, वो बहुत ही भारी हैं। इसके अलावा उनकी गति बहुत धीमी है और उनका खर्च भी बहुत अधिक होता है।
- जूते के डिब्बे के बराबर आकार वाले नए प्रिंटर का वजन एक किलोग्राम से भी कम है। साथ ही इसे चलाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है।

एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर भारत

- ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में एशिया-प्रशांत के **25** देशों का आकलन प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया। किसी भी देश की ताकत का आकलन **8** बिंदुओं के तहत व्यक्त किया जाता है। इनमें आर्थिक संसाधन, सैन्य क्षमता, लचीलापन, फ्यूचर ट्रेंड्स, राजनयिक प्रभाव, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस नेटवर्क और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं।
- आर्थिक संसाधन, सैन्य क्षमता, राजनयिक प्रभाव के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, लेकिन लचीलेपन के मामले में भारत का **5**वाँ, जबकि सांस्कृतिक प्रभाव और फ्यूचर ट्रेंड्स में भारत का स्थान तीसरा रहा।
- सबसे खराब प्रदर्शन इकोनॉमिक रिलेशनशिप और डिफेंस नेटवर्क में दर्ज किया गया, जिनमें भारत की रैंकिंग क्रमश: **7**वीं और **10**वीं रही।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, पावर स्टेटस का बड़ा हिस्सा जापान और भारत के हिस्से में है। टोक्यो स्मार्ट पावर है, जबकि नई दिल्ली भविष्य की ताकत है।
- इस रिसर्च की मानें तो दुनिया की **4** सबसे सबसे बड़ी इकोनॉमी में से तीन एशिया में हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत एशिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है।
- वहीं रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, न्यूज़ीलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपींस और उत्तर कोरिया को मिडिल पावर का दर्जा दिया गया है, जबकि बांग्लादेश, ब्रुनेई, म्याँमार, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस और नेपाल को मामूली ताकत का दर्जा दिया गया है।

तमिलनाडु में मानसूनी बारिश के लिये पश्चिमी घाट के जंगल का महत्त्व

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने पाया कि पश्चिमी घाटों के घने वन ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान तमिलनाडु में होने वाली बारिश का निर्धारण करते हैं।

- पश्चिमी घाट के घने वन सामान्य मानसून वाले वर्ष में तमिलनाडु में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसूनी बारिश में **40%** तक आर्द्रता का योगदान करते हैं।
- इन वनों का औसत योगदान लगभग **25%** से **30%** तक होता है, लेकिन मानसून की कमी वाले वर्ष में यह योगदान **50%** तक बढ़ जाता है।
- पश्चिमी घाट अगस्त और सितंबर के दौरान तमिलनाडु के अधिकांश स्थानों पर प्रतिदिन **3** मिमी. तक तथा जून तथा जुलाई के दौरान प्रतिदिन **1** मिमी. बारिश में योगदान देते हैं।
- अध्ययन में यह भी पाया गया है कि पश्चिमी घाटों में निर्वनीकरण के कारण पूरे राज्य के तापमान में लगभग **0.5** डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी बारिश में नमी की आपूर्ति के लिये पश्चिमी घाट वनस्पति क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन करने हेतु पश्चिमी घाट का वन क्षेत्र के साथ तथा वन क्षेत्र के बिना योगदान का प्रयोग किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पश्चिमी घाटों से वन क्षेत्र को हटाने पर प्रतिदिन बारिश में **1** से **2.5** मिमी. तक की महत्त्वपूर्ण कमी पाई गई, जो तमिलनाडु की कुल मानसूनी बारिश में औसतन **25%** परिवर्तन कर देती है।
- हालाँकि, शोधकर्त्ताओं ने मानसून की कमी वाले तीन वर्षों के अध्ययन में पाया गया कि तमिलनाडु ने पश्चिमी घाटों से लाभ प्राप्त किया है।
- घाटों में वन क्षेत्र तमिलनाडु में नमी आपूर्ति के लिये संधारित्र की तरह काम करता है। मानसून काल में निवर्तन के दौरान या जब बारिश में तेजी से कमी आती है या लगातार तीन दिनों तक बारिश नहीं होती है, उस समय तमिलनाडु की बारिश पर घाटों में निर्वनीकरण का प्रभाव मानसून अवधि के नम काल की तुलना में अधिक होता है।
- जहाँ निवर्तन अवधि के दौरान वर्षा में गिरावट राज्य भर में व्याप्त होती है, वहीं वृष्टि काल के दौरान घाटों में वनस्पति का योगदान ज्यादातर राज्य के दक्षिणी हिस्से में होता है और यह **25** से **30%** तक होता है।

घरेलू सीवेज से पृथक् किये गए जीवाणुओं ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक को हटाया

हाल ही में भारतीय शोधकर्त्ताओं ने घरेलू सीवेज से पृथक् किये गए तीन जीवाणुओं का प्रयोग करके पानी तथा मिट्टी दोनों से क्लोरपाइरीफोस (Chlorpyrifos) कीटनाशक को हटाने में सफलता प्राप्त की है।

- क्लोरपाइरीफोस एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है, जो सामान्य रूप से मानव के लिये विषाक्त होता है।
- क्लोरपाइरीफोस के कारण उत्पन्न विषाक्तता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम तथा श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है।
- इस शोध के तहत जीवाणुओं की तीन प्रजातियों का प्रयोग करके, मिट्टी में लंबे समय तक बने रहने वाले किसी भी प्रकार के विषाक्त कण को छोड़े बिना कीटनाशक को पूर्ण रूप से हटाया गया।
- घरेलू सीवेज में पाए जाने वाले जीवाणु नियमित रूप से इस कीटनाशक के निम्न स्तर के संपर्क में आते रहते हैं।
- इस प्रकार ये जीवाणु जीवित रहने के लिये स्वयं को कीटनाशकों के अनुकूल बना लेते हैं, इसी वजह से वैज्ञानिकों ने घरेलू सीवेज से पृथक् होने वाले जीवाणुओं का प्रयोग किया।
- ऐसे जीवाणुओं को पृथक् करने के लिये, जो कीटनाशकों को अवशोषित कर सके, घरेलू सीवेज में पाए जाने वाले जीवाणुओं को पोषक माध्यम के साथ-साथ कीटनाशकों के अलग-अलग सांद्रण में डाला गया।
- जीवाणुओं की क्षमता की जाँच कीटनाशक के **500**मिग्रा./मिली. उच्च सांद्रण में की गई। जल में मिले हुए कीटनाशक के मामले में सभी तीनों जीवाणु अकेले तथा मिश्रित दोनों तरीकों से तीन दिन में **90%** से अधिक कीटनाशक को हटाने में सक्षम रहे।
- मिट्टी में **300**मिग्रा./किग्रा. कीटनाशक के मामले में, जीवाणुओं का मिश्रित समूह **30** दिन में **50%** कीटनाशक को कम कर सका। केवल एक प्रजाति की अपेक्षा तीनों जीवाणुओं के मिश्रित समूह ने बेहतर तरीके से कीटनाशकों को कम करना प्रदर्शित किया।
- ये अध्ययन जीवाणुओं के अंदर कीटनाशकों के संचय की पुष्टि करने के लिये तथा ये कहाँ पाए जाते हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि कीटनाशक कोशिका के अंदर जैविक रूप से एकत्रित होता है, साथ ही यह कोशिका की सतह से जुड़ा रहता है।
- चूँकि जीवाणु मिट्टी या जल में तेजी से वृद्धि करते हैं, मृत सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त कीटनाशक को नए उत्पन्न जीवाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिये ये संभव है कि मिट्टी या जल कीटनाशकों से मुक्त हो जाएगा।

15वाँ एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 10 से 12 मई, 2018 तक 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (Asia Media Summit-AMS) का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान (Indian Institute of Mass Communication-IIMC) और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड (Broadcast Engineering Consultants India Limited-BECIL) के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- एएमएस **2018,** कुआलालंपुर स्थित एशिया-पैसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ़ ब्रॉडकास्टिंग डेवलेपमेंट (**Asia Pacific Institute for Broadcasting Development - AIBD)** का एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन है और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है।
- इस शिखर सम्मेलन का केंद्र बिंदु **"Telling Our Stories – Asia and More"** है। इसका आयोजन दो भागों में किया जाएगा। इसमें शिखर सम्मेलन से पहले **8** और **9** मई को कार्यशाला और **10** से **12** मई, **2018** तक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है।
- इस शिखर सम्मेलन में एशिया क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण संबंधी मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, एफएओ और संयुक्त राष्ट्र संघ, नियामक, सरकारी व निजी टीवी एवं रेडियो प्रसारण कंपनी, टेलीविजन चैनल तथा नेटवर्क, संचार के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान, मीडिया अनुसंधान, सामुदायिक रेडियो संगठन, पत्रकार, मीडिया और प्रसारण उपकरण निर्माता भाग लेंगे।
- शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय और द्विपक्षीय विचार-विमर्श को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रसारण क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों पर सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- शिखर सम्मेलन में **39** देशों के **200** विदेशी प्रतिनिधि भी भागीदारी करेंगे। इनमें सार्क (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका); आसियान (कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम); पूर्वी-एशिया (कोरिया, हॉन्गकॉन्ग, जापान); अफ्रीका (मॉरीशस, नाईजीरिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, ट्यूनीशिया); ओशेनिया (ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी); यूरोप (फ्राँन्स, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन); सीरिया, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कश्मीर घाटी में पहली बार दर्ज़ की गई एफिड की उपस्थिति

हाल ही में आक्रामक एफिड (द्रुमयूका) की उपस्थिति भारी संख्या में भारत को फलों की कटोरी कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में दर्ज की गई है। ध्यातव्य है कि ब्राउन पीच एफिड एक कीट है, जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के वृक्षों पर हमला करते हैं और पहली बार इस क्षेत्र में पाए गए हैं।

- भारत में इसकी उपस्थिति पहली बार **1970** के दशक में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में दर्ज़ की गई थी और लगभग **40** साल बाद, कश्मीर घाटी में पुनः यह कीट सामने आए हैं।
- एफिड कीट पौधों के रस से भोजन प्राप्त करते हैं और पौधों के उन ऊतकों पर हमला करते हैं, जो पौधे के विभिन्न भागों को भोजन पहुँचाते हैं। इस एफिड का प्रसार स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जो काफी हद तक फलों के वृक्षों पर आधारित है।
- ब्राउन पीच एफिड (**Pterochloroides persicae)** आड़ू **(Peach)** तथा बादाम (**Almond)** के लिये एक कुख्यात कीट है।
- सूक्ष्म (लगभग **3**मिमी. लंबा) एफिड सबसे अधिक अप्रैल, मई, सितंबर तथा अक्तूबर माह के दौरान पनपते हैं।
- हालाँकि **20** से **22** डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इनके लिये सबसे अधिक अनुकूल होता है,, फिर भी भूरे तथा सफ़ेद धब्बे वाले ये कीट **3** डिग्री सेल्सियस तक के निम्न तापमान में भी सक्रिय रहते हैं।
- लार्वा (अंडों से निकलने वाले छोटे एफिड) एक माह में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं तथा और अधिक एफिड पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं।
- केवल एक साल में ही एफिड के **6** से **8** पीढ़ियों का निर्माण हो जाता है।

नियंत्रण

- प्राकृतिक रसायनों के कई संयोजन तथा सांद्रण जिनमें नीम के पौधे का रस तथा लैवेंडर के तेल भी शामिल हैं, एफिड की संख्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
- लाल चींटियाँ भोजन के लिये एफिड से रस प्राप्त करती हैं, जबकि ततैया (**Wasp)** तथा अन्य कई परजीवी भी एफिड का शिकार करते हैं।
- यदि इनके संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया गया तो आक्रामक एफिड तेजी से फैल सकते हैं। निश्चित रूप से ये कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

व्यापार उपाय महानिदेशालय

भारत सरकार ने 7 मई, 2018 को भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, (Allocation of Business), 1961 में संशोधन कर वाणिज्य विभाग में 'डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय' (Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties-DGAD) के स्थान पर 'व्यापार उपाय महानिदेशालय' (Directorate General of Trade Remedie - DGTR) का सृजन किया।

- इससे एकीकृत एकल छत्र (अम्ब्रेला) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो व्यापार उपाय महानिदेशालय (**DGTR**) के नाम से जाना जाएगा।
- **DGTR** का सृजन देश में एक व्यापक एवं त्वरित व्यापार सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है।
- व्यवसाय आवंटन नियमों में किये गए संशोधन के माध्यम से वाणिज्य विभाग को मात्रात्मक नियंत्रण संबंधी उपायों की सिफारिश करने से संबंधित कार्य करने की भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- नई व्यवस्था के तहत 'विदेश व्यापार महानिदेशालय' **(DGFT)** के 'डंपिंग रोधी एवं सम्बद्ध प्रशुल्क महानिदेशालय' **(DGAD),** रक्षोपाय महानिदेशालय (**DGS)** और मात्रात्मक प्रतिबंध (**QR)** संबंधी कार्य **DGTR** के दायरे में आ जाएंगे। परिणामतः इन सभी का विलय एकल राष्ट्रीय निकाय में करना संभव होगा।
- डंपिंग रोधी**,** काउंटरवेलिंग ड्यूटी की जाँच और मात्रात्मक प्रतिबंध संबंधी उपाय **DGTR** के दायरे में आएंगे।
- **DGTR** वाणिज्य विभाग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करेगा।
- डंपिंग रोधी**,**काउंटरवेलिंग ड्यूटी एवं मात्रात्मक प्रतिबंध शुल्क लगाने के लिए **DGTR** द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर राजस्व विभाग विचार करेगा।

15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद

15वें वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission) ने एक सलाहकार परिषद (Advisory Council) का गठन किया है, जो आयोग को परामर्श देने के साथ-साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। सलाहकार परिषद की भूमिका और उसके कामकाज-

- आयोग के विचारार्थ विषयों (**Terms of Reference - ToR)** अथवा किसी ऐसे मसले पर आयोग को परामर्श देना, जो प्रासंगिक हो सकता है।
- ऐसे प्रपत्र अथवा अनुसंधान को तैयार करने में मदद प्रदान करना, जो विचारार्थ विषयों में शामिल मुद्दों पर आयोग की समझ बढ़ाएंगे।
- वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित विषयों पर सर्वोत्तम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का पता लगाने के साथ-साथ आयोग की सिफारिशों की गुणवत्ता एवं पहुँच उनके कार्यान्वयन को बेहतर करने के लिये आयोग के दायरे एवं समझ का विस्तार करने में मदद करना।

मित्र फफूँद से कृषि अवशेषों का निस्तारण

चंद्रशेखर आज़ाद (CSA) कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिये एक नया उपाय खोजा है। शोधकर्त्ताओं ने एक खास तरह की मित्र फफूँद विकसित की है, जिसकी सहायता से कृषि अपशिष्ट को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

- इस प्रक्रिया के अनुप्रयोग से कृषि अपशिष्टों को जलाने**,** फसलों की कटाई के बाद उनके अवशेषों का निस्तारण करने संबंधी समस्या का हल संभव होगा।
- ट्राइकोडरमा (फफूँद) की इस खास प्रजाति को जैव नियंत्रित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। गौरतलब है कि यह फफूँद तीन से चार महीने में अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कर देती है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार**,** ट्राइकोडरमा का नगर के जैव अपशिष्ट कचरे में प्रयोग किया जा सकता है**,** यह प्लास्टिक और पॉलीथिन (अजैव अपशिष्ट) के संदर्भ में काम नहीं करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इससे पहले मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों को खाद में परिवर्तित करने के लिये मित्र फफूँद का इस्तेमाल किया जा चुका है, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।
- मित्र फफूंद का इस्तेमाल करके कृषि अवशेष की समस्या को तो दूर किया ही जा सकता है, साथ ही कृषि अवशेषों को जलाने से उत्पन्न होने वाले धुएँ से वायु प्रदूषण के खतरे से भी बचा जा सकता है। साथ ही यह आर्थिक दृष्टि से भी किसानों के लिये फायदेमंद साबित होगी।

दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान ओडिशा में

लगभग आठ साल पहले ओडिशा के केंदुझार ज़िले में चम्पुआ नामक स्थान से एक चट्टान का नमूना प्राप्त किया गया था, जिसने भारत को विश्व के भूगर्भीय शोधों में सबसे आगे रखा है। वैज्ञानिकों ने चट्टान में मैग्मैटिक ज़िरकॉन (एक खनिज जिसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप के लक्षण पाए जाते हैं) का पता लगाया है, जो अनुमानतः 4,240 मिलियन वर्ष पुराना है- यह पृथ्वी के प्रारंभिक वर्षों का अध्ययन करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

- चट्टान में पाया गया **4.2** बिलियन पुराना ज़िरकॉन (**zircon**) पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ताजा संकेत प्रदान करता है।
- यह खोज चाइनीज़ एकेडमी ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज़, बीजिंग के शोधकर्त्ताओं के साथ-साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा कर्टिन विश्वविद्यालय, मलेशिया के भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई।
- इस पुराने ज़िरकॉन का एकमात्र उदाहरण जैक हिल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, जो **4,400** मिलियन वर्ष पुराना है तथा सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टान का नमूना है।
- सिंघभूम चट्टान जिसका निर्माण मैग्मा द्वारा हुआ था, के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में पाए गए ज़िरकॉन का निर्माण रूपांतरित अवसादी शैल से हुआ था।
- इस प्रकार सिंघभूम चट्टान (जहाँ से जिरकॉन प्राप्त किया गया), विश्व की दूसरी सबसे पुरानी चट्टान है तथा उसमें पाया गया ज़िरकॉन पृथ्वी पर सबसे पुराना मैग्मैटिक ज़िरकॉन है।
- इसके विश्लेषण के लिये जिस मशीन का प्रयोग किया गया, उसका नाम सेंसेटिव हाई रिज़ॉल्यूशन आयन माइक्रोब (**Sensitive High Resolution Ion Microprobe -SHRIMP**) है। यह भारत में उपलब्ध नहीं है।
- विश्लेषण में **4,240** मिलियन और **4,030** मिलियन वर्ष पुराने दो जिरकॉन कणों की उपस्थिति की पुष्टि की गई है।
- इसका अध्ययन पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती कुछ सौ मिलियन वर्षों में पानी की उपस्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। यह हमें प्लेट विवर्तिनिकी (**Plate Tectonics**) की शुरुआत के बारे में भी जानकारी देगा।

भारत रत्न मृणालिनी साराभाई

गूगल ने भारत रत्न विजेता, नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर मृणालिनी साराभाई को डूडल बनाकर याद किया है। मृणालिनी साराभाई को यह सम्मान उनके 100वें जन्मदिवस पर दिया गया।

- मृणालिनी साराभाई का जन्म **11** मई, **1918** को केरल में हुआ था। इनके पिता मद्रास हाईकोर्ट में वकील थे।
- मृणालिनी साराभाई को वर्ष **1965** में पद्मश्री और **1992** में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।
- मृणालिनी को बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, जिसके चलते उनकी माँ ने उन्हें प्रशिक्षण के लिये बचपन में ही स्विट्ज़रलैंड भेज दिया था।
- मृणालिनी साराभाई का काफी समय रबींद्रनाथ टैगोर की देख-रेख में बीता, उन्होंने शांति निकेतन से अध्ययन भी किया।
- **24** वर्ष की आयु में उन्होंने विक्रम साराभाई से विवाह किया। आपको बता दें कि विक्रम साराभाई को भारत के दिग्गज वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं में शामिल किया जाता है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है।
- वर्ष **1948** में मृणालिनी ने अहमदाबाद में एक अकादमी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने 'दर्पण' रखा।
- उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखने के साथ-साथ नाटक लेखन का भी काम किया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अतिरिक्त उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी।
- **87** वर्ष की उम्र में अहमदाबाद में उनका निधन हो गया था।

दशकों से अनदेखी तितलियाँ फिर से वापस आईं

अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित निचली दिबांग घाटी ज़िले में (जहाँ विवादास्पद दिबांग बांध का निर्माण प्रस्तावित है) काले रंग की तथा पवनचक्की के समान आकृति वाली तितली (Byasa crassipes) पाई गई है।

- अब तक इस तितली का उल्लेख केवल दो पुस्तकों- **1913** में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेडरिक मूर द्वारा भारत की तितलियों पर एक पुस्तक **'10-**वॉल्यूम लेपिडोप्टेरा इंडिका' **(10-volume Lepidoptera Indica)** तथा **1939** में जॉर्ज टैलबोट द्वारा लिखित 'द फॉन ऑफ ब्रिटिश इंडिया' **(The Fauna of British India)** में किया गया है।
- उसके बाद यह तितली भारत में कभी नहीं देखी गई थी।
- इससे पहले **2012** में भी हिमाचल प्रदेश के दरंघती वन्य जीव अभयारण्य में असामान्य दुर्लभ प्रजाति की तितली (**Hestina nicevillei)** की उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- ऐसा पहली बार हुआ है, जब इन प्रजातियों की तस्वीर ली गई और **1917** से अब तक इन्हें भारत में पहली बार देखा गया है।
- तितली की ये दोनों प्रजातियाँ भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (**1972)** की अनुसूची **1** (जो कीटों के लिये भी बाघों के समान सुरक्षा सुनिश्चित करती है) के तहत सूचीबद्ध हैं।
- तितलियों के अवलोकन वाले स्थलों को प्रायः **'**भारत की तितलियाँ**' (Butterflies of India)** के अंतर्गत सार्वजनिक किया जाता है, जहाँ दोनों प्रजातियों की पुनः प्राप्ति को सूचीबद्ध किया गया है।

पहला बादल मुक्त एक्सोप्लैनेट

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जिसके वायुमंडल में बादल नहीं हैं। इस खोज से हमारे सौरमण्डल के बाहर के ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी

- इस एक्सोप्लैनेट को **WASP-96B** नाम दिया गया है।
- इसका अध्ययन बेहद शक्तिशाली **8.2 M** टेलीस्कोप की मदद से किया गया।
- **WASP-96B** के स्पेक्ट्रम में पूर्ण रूप से सोडियम की उपस्थिति प्रदर्शित हुई। ऐसा तभी हो सकता है, जब वायुमंडल में बादल न हों।
- **WASP-96B** गर्म गैसों से भरा हुआ है।
- इसका द्रव्यमान शनि **(Saturn)** के बराबर**,** जबकि आकार बृहस्पति **(Jupiter)** से **20** गुना बड़ा है।
- यह एक्सोप्लैनेट दक्षिणी नक्षत्र फीनिक्स से **980** प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य के समान किसी तारे का चक्कर काट रहा है।
- गौरतलब है कि ये वैज्ञानिक **20** से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की निगरानी कर रहे थे, जिसमें से **WASP-96B** एकमात्र ऐसा एक्सोप्लैनेट था, जिसका वायुमंडल पूरी तरह से बादलों से मुक्त है।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे को मिली परिचालन संबंधी सुरक्षा शील्ड

बेहतर सुरक्षा के लिये दक्षिण-पश्चिम रेलवे के प्रयासों को मान्यता देते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे को 2017-18 के लिये सुरक्षा शील्ड प्रदान की गई। गौरतलब है कि दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन से संबंधित सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ आँकड़े प्रदर्शित किये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- दक्षिण-पश्चिम रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।
- **2014** में इस मंडल में **11, 2015-16** में **8, 2016-17** में **3** और **2017-18** में केवल **1** दुर्घटना हुई।
- दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बजटीय व्यय को कुछ वर्ष पहले **1000** करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब **3000** करोड़ रुपए किया गया।
- सभी मानव रहित फाटकों पर **24** घंटे गेट मित्रों की तैनाती की गई।
- **2017-18** में आरओबी/आरयूबी/सबवे के निर्माण द्वारा **27** मानव रहित फाटकों को हटाया गया।
- मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना **2017-18** के बजट में की थी।
- इसके अंतर्गत दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने **2017-18** में **687** करोड़ रुपए का कोष बनाया।
- सुरक्षा के मद्देनज़र इस कोष की अधिकांश राशि पटरियों को नए सिरे से बनाने और उनके उन्नयन में खर्च की जा रही है।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे

- यह भारतीय रेल की एक इकाई है। इसकी स्थापना **1** अप्रैल, **2003** को हुई थी। इसका मुख्यालय हुबली में स्थित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत और विश्व

भारत के लिये ईरान समझौते से अमेरिका की वापसी के मायने

अमेरिका ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया है। इसका कहना है कि इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, 2025 के अलावा परमाणु गतिविधियों तथा यमन और सीरिया में जारी संघर्षों में इसकी भूमिका को शामिल नहीं किया था।

क्या है वो परमाणु समझौता, जिसे अमेरिका ने रद्द कर दिया है?

- आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना (**Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA)** तथा अनौपचारिक रूप से 'ईरान परमाणु समझौता' कहा जाता है।
- वियना में **14** जुलाई, **2015** को ईरान तथा **P5** (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, फ्राँस, रूस तथा ब्रिटेन) के साथ-साथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, जिसमें इसके परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने के बदले में तेहरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल था।

भारत की स्थिति

- भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित कार्यविधि का एक सक्रिय समर्थक रहा है।
- ईरान समझौते से अमेरिका के अलग होने पर भारत वर्तमान में अपने दाँव को छुपा रहा है। हालाँकि नई दिल्ली, जो हाल ही में तीन बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण शासनों (**MTCR**, वासनेर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह) का सदस्य बनी है, यदि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (**NSG)** में भी शामिल होना चाहती है तो **JCPOA** के प्रति प्रतिबद्धता की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति से उसे यूरोपीय, विशेष रूप से फ्रांस से मदद मिलेगी।
- फ्राँस की तरह अमेरिका भी भारत की **NSG** सदस्यता की दावेदारी का एक मजबूत समर्थक है।

उत्तर भारत में दुनिया की सबसे खराब हवा के कारण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी वायु प्रदूषण पर एक नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में पीएम 2.5 प्रदूषण के उच्चतम स्तर वाले 15 शहरों में से 14 भारत में थे। ये 14 शहर उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक एक बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। 15वाँ शहर कुवैत का अली सुबह-अल-सलेम था।

- प्रभावी रूप से नई डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट राजस्थान और कश्मीर घाटी के साथ-साथ दुनिया में सबसे खराब हवा के क्षेत्र के रूप में गंगा के मैदानी क्षेत्र की पहचान करती है। इस सूची में दुनिया के **20** शहर शामिल थे।

सबसे प्रदूषित भारतीय शहर

- इस लिस्ट में शामिल शहरों में से दिल्ली, आगरा और कानपुर उच्च स्तरीय वायु प्रदूषण वाले शहर माने जाते हैं, जबकि वाराणसी, गया, श्रीनगर में प्रदूषणकारी उद्योगों का उच्च संकेंद्रण नहीं है और न ही इन शहरों में प्रदूषण के सामान्य स्रोत माने जाने वाले वाहनों का आधिक्य है, फिर भी इन शहरों में पीएम **2.5** का उच्च स्तर पाया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर-देशीय अभिभावकीय बाल अपहरण : हेग कन्वेंशन के प्रमुख सिद्धांत पर केंद्रीय पैनल को आपत्ति

अंतर-देशीय अभिभावकीय बाल अपहरण के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु केंद्र द्वारा गठित किये गए पैनल ने हेग कन्वेंशन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक पर सवाल उठाया है। इस पैनल का कहना है कि बच्चे की अपने अभ्यस्त निवास (habitual residence) पर वापसी उसके सर्वोत्तम हित में हो, यह कतई आवश्यक नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- भारत पर अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन में शामिल होने का दवाब बनाया जा रहा है।
- पैनल का मानना है कि अभ्यस्त निवास की अवधारणा बच्चे के सर्वोत्तम हित के साथ तुल्यकालिक (**synchronous)** नहीं है। इसका मानना है कि बच्चे की अनिवार्यतः अभ्यस्त स्थान पर वापसी, उसे गैर-सौहार्दपूर्ण माहौल में धकेल सकती है।
- पैनल ने बच्चों के हितों के साथ ही माता-पिता, विशेष रूप से माताओं की सुरक्षा के लिये एक मसौदा कानून भी तैयार किया है।
- प्रस्तावित मसौदा कानून में नौ अपवाद दिये गए हैं, जिनके अंतर्गत बच्चे को उसके अभ्यस्त निवास वाले देश में वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- जिन महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में बच्चे की वापसी से इनकार किया जा सकता है, वे हैं – बच्चे का सर्वोत्तम हित, घरेलू हिंसा या मानसिक या शारीरिक क्रूरता या उत्पीड़न के कारण बच्चे के साथ भागा परिजन (माता या पिता), उस परिजन द्वारा बच्चे की कस्टडी की मांग जो बच्चे को उसके पास से हटाए जाने के समय कस्टडी अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहा था और बच्चे को वापस भेजने की स्थिति में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का गंभीर जोखिम।
- पैनल ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिये 'भारतीय परिवार प्रणाली' के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।
- पैनल द्वारा जारी रिपोर्ट में एक अंतर-देशीय अभिभावक बाल निष्कासन विवाद समाधान प्राधिकरण (**Inter-Country Parental Child Removal Disputes Resolution Authority)** के गठन की भी मांग की है, जो बच्चे की कस्टडी पर निर्णय लेने हेतु नोडल एजेंसी होगा। साथ ही यह विवाद में शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता भी करेगा एवं बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले देश में वापसी हेतु आदेश भी देगा।
- सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि जब भी वह प्राधिकरण के गठन का निर्णय लेगी तो वह इस बात पर भी निर्णय लेगी कि भारत को हेग कन्वेंशन में शामिल होना चाहिये या नहीं।
- **2016** में सरकार ने हेग संधि पर इस आधार पर हस्ताक्षर न करने का फैसला किया था कि यह उन महिलाओं के लिये हानिकारक हो सकता है, जिन्होंने अपमानजनक शादी (**abusive marriage)** से पलायन किया है।

क्या है हेग कन्वेंशन?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है, जिनका "अपहरण" (**abduction)** कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
- इस संधि का केंद्रबिंदु 'अभ्यस्त निवास' का मानदंड है, जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि क्या वाकई किसी बच्चे को उसके किसी एक परिजन द्वारा दूसरे परिजन के पास से गलत तरीके से हटाया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद, भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। कन्वेंशन के तहत, हस्ताक्षर करने वाले देशों को उनके अभ्यस्त निवास स्थान से गैरकानूनी ढंग से निकाले गए बच्चों का पता लगाने और उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रीय प्राधिकरण का निर्माण करना होगा।
- मान लिया जाए कि किसी देश ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रखा है और इस मसले पर उस देश का अपना कानून कोई अलग राय रखता हो तो भी उसे कन्वेंशन के नियमों के तहत ही कार्य करना होगा।

यूएसटीआर ने जारी की '2018 स्पेशल 301 रिपोर्ट'

यूएसटीआर (United States Trade Representative) ने अपनी '2018 स्पेशल 301 रिपोर्ट' जारी कर दी है। इसमें भारत को पुनः 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने इस कदम को 'एंटी पब्लिक हेल्थ' करार दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अंतर्गत, अमेरिका अपने व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन संबंधी ट्रैक रिकॉर्ड पर आकलन करता है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में बना हुआ है क्योंकि उसने लंबे समय से उपस्थित और नई चुनौतियों से संबंधित बौद्धिक संपदा फ्रेमवर्क में अपेक्षानुसार सुधार नहीं किया है। इस कारण अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में कनाडा, चीन, अर्जेंटीना, कोलंबिया और रूस भी शामिल हैं।
- कनाडा **G7** समूह का एकमात्र ऐसा देश है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है।
- 'प्राथमिकता निगरानी सूची' वर्गीकरण इंगित करता है कि इसमें शामिल देशों में बौद्धिक संपदा संबंधी सुरक्षा, प्रवर्तन और बाज़ार पहुँच की समस्याएँ विद्यमान हैं।
- रिपोर्ट में 'नई और उभरती चिंताओं' को भी इंगित किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का बहुपक्षीय मंचों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों में पक्ष स्पष्ट नहीं है, जो भारत की नवाचार और रचनात्मकता में अभिवृद्धि संबंधी नीतियों पर संशय पैदा करता है।
- रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा सुरक्षा और प्रवर्तन के संबंध में सबसे चुनौतीपूर्ण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हुए कहा गया है कि भारत को लंबे समय से उपस्थित पेटेंट के मामलों का निस्तारण करना होगा, क्योंकि इनसे नवाचार उद्योग प्रभावित हो रहा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है बाज़ार पहुँच संबंधी बाधाओं की पहचान और उनका निवारण बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनके कारण अमेरिकियों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
- जालीपन के मुद्दे पर इस रिपोर्ट का कहना है कि वित्त वर्ष **2017** में अमेरिकी सीमा पर जब्त किये गए सभी नकली फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य का नब्बे प्रतिशत चार अर्थव्यवस्थाओं (चीन, डोमिनिकन गणराज्य, हॉन्गकॉन्ग और भारत) के माध्यम से भेजा गया था।
- हालाँकि, भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य मोर्चे पर 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' से समर्थन प्राप्त हुआ है।
- इस संगठन के अनुसार, अमेरिका ने इस रिपोर्ट के माध्यम से अनुचित तरीके से भारत जैसे देशों को निशाना बनाया है, क्योंकि यह दवाओं तक हर किसी की पहुँच में सुधार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत कानूनी उपायों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर कोलंबिया, मलेशिया और अन्य देशों को सस्ती और गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है।
- यह रिपोर्ट अमेरिका द्वारा अपनाई जा रही उसी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अन्य देशों पर दबाव बनाकर अपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को उन देशों में पेटेंट अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहा है, ताकि मरीज़ों तक सस्ती दवाएँ आसानी से न पहुँच पाएँ।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

चीन के साथ व्यापार घाटे के कारण आरसीईपी वार्ता पर बढ़ती चिंताएँ

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2017-18 में बढ़कर $62.8 बिलियन पहुँच गया है, जो 2016-17 में $51 बिलियन था। चिंता जताई जा रही है कि प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कारण यह स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि इस समझौते के अंतर्गत बड़े स्तर पर टैरिफों का उन्मूलन किया जाना है, जिससे भारतीय बाज़ारों में चीनी माल की बाढ़ आ सकती है।

प्रमुख बिंदु

- **16** आरसीईपी देशों के अधिकारी, जिनमें **10** सदस्यीय आसियान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, सिंगापुर में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और साल के अंत तक वार्ता संपन्न करने हेतु प्रयासरत हैं।
- आसियान देश चाहते हैं कि भारत **92** प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करने के लिये सहमत हो और सभी सदस्यों को समान रियायतें देकर अपने ऑफरों में समानता बनाए रखे।
- आसियान भारत पर महत्त्वाकांक्षी टैरिफ कटौती हेतु सहमत होने के लिये दबाव डाल रहा है ताकि **2018** के अंत तक वार्ता समाप्त हो जाए और इसमें ज़्यादा देरी न हो।
- भारत न केवल टैरिफ कटौती के बाद संभावित चीनी वस्तुओं की बाढ़ से अपने बाज़ार को सुरक्षित करना चाहता है बल्कि यह अपनी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन हेतु एक लंबी अवधि भी चाहता है।
- भारतीय उद्योग चीन को बड़ी टैरिफ कटौती की पेशकश करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे घरेलू कारोबार में काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

क्या है आरसीईपी?

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (**FTA**) है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के **16** देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (**RCEP**) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है, परंतु इसके लाभ को समान रूप से साझा करने के लिये आवश्यक है कि यह समझौता सभी **16** देशों के बीच संतुलित हो।
- आरसीईपी समझौते के संपन्न होने के पश्चात् यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापारिक ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत दुनिया की **45** प्रतिशत जनसंख्या आती है और इसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग **$21** ट्रिलियन है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

खानाबदोश जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की कवायद

खानाबदोश जनजातियों को संवैधानिक मान्यता देने के अपने प्रयास के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 22 मंत्रालयों, आयोगों और सरकार के थिंक-टैंक से डीनोटिफाइड नोमेडिक और सेमी- नोमेडिक ट्राइब्स (denotified nomadic and semi-nomadic tribes- DNT/ NT/ SNT) पर बनी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये बनी अनुसूची के बाद एक अलग तीसरी अनुसूची के तहत इन समुदायों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है।
- यह तीसरी अनुसूची उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- भिकु रामजी इदेट (**bhiku ramji idate)** की अध्यक्षता में आयोग ने जनवरी **2018** में मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि इन "सर्वाधिक वंचित" **(most deprived)** समुदायों को अनुसूचित **DNT/NT/SNT** के रूप में मान्यता दी जाए।
- इदेट आयोग ने कुल **20** सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों से संबंधित विभागों तथा मंत्रालयों को पत्र भेजे गए हैं|
- सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार इन समुदायों के विकास हेतु विज़न **2030** तैयार करने के लिये एक कार्यकारी समूह की स्थापना के संबंध में नीति आयोग से परामर्श किया जा रहा है।
- सरकार रिपोर्ट को कार्यान्वित करेगी और आवश्यक संवैधानिक संशोधन लाएगी क्योंकि **DNT/NT/SNT** समुदायों की स्थिति देश में दलितों और आदिवासियों की तुलना में भी बदतर है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को स्थायी **DNT/NT/SNT** आयोग की स्थापना सहित कुछ प्रमुख सिफारिशों को लागू करना होगा, जो **SC,ST** तथा **OBC** वर्गों में गलत तरीके से रखे गए हैं|
- मंत्रालय को **94 DNT, 171 NT** और **2 SNT** समुदायों को वर्गीकृत करना होगा, जिन्हें किसी भी निर्धारित श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

- हैबीचुअल अफेंडर्स एक्ट को रद्द करना (जो अभी भी पुलिस द्वारा इस समुदाय के उत्पीड़न के परिणाम के रूप में दिखाई देता है)|
- पीडीएस कार्ड के प्रावधान|
- बड़े पैमाने पर भूमिहीन समुदाय के लिये विशेष आवास योजनाएँ|
- उनकी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिये एक अलग अकादमी की स्थापना|
- विशेष शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएँ।

डीनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जातियाँ

- डीनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जातियाँ उन सभी समुदायों को कहते हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत अधिसूचित हैं, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था, जिसके द्वारा पूरी आबादी को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया था|

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **1952** में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और इस समुदाय को डीनोटिफाइड की श्रेणी में रखा गया था।
- खानाबदोश जनजातियाँ (**nomadic tribes**) वे हैं, जो निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखते हैं, जबकि अर्द्ध-खानाबदोश (**semi-nomads**) वे लोग हैं, जो गतिशील तो हैं लेकिन साल में कम-से-कम एक बार मुख्य रूप से व्यावसायिक कारणों से एक निश्चित आवास पर लौट आते हैं।
- नवीनतम इदेट आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन समुदायों के लिये आजादी के बाद की नीतियाँ ज़्यादातर "प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति" **(symbolic reparations)** रही हैं, उदारीकरण नीतियों के बाद उन्हें अपनी भूमि और व्यवसायों से अलग कर दिया गया है।

साक्ष्य के तौर पर पेश हो सकती है संसदीय समिति की रिपोर्ट

- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल ही में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है कि अदालतें संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का संज्ञान ले सकती हैं| ये साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य हैं|
- न्यायालय ने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को न तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं|

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पीठ ने कहा, 'किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के लिये जरूरत पड़ने पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जा सकती है और ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में इसका संज्ञान लिया जा सकता है|
- साक्ष्य अधिनियम की धारा **57(4)** के तहत संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है और यह अधिनियम की धारा **74** के तहत स्वीकार्य है|
- पीठ ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद **32** या अनुच्छेद **136** के तहत दायर मुकदमे में यह अदालत संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले सकती है| हालाँकि, रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है|
- संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस धनन्जय, वाई. चन्द्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं|

क्या था मामला?

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला उन जनहित याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें आंध्र प्रदेश और गुजरात में **2008** में कुछ आदिवासी महिलाओं को कथित तौर पर सरवाइकल कैंसर के टीके (**gardasil** और **cervarix**) दिये जाने से उनकी असामयिक मृत्यु का मुद्दा उठाया गया था और उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई थी|
- याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों के लिये मुआवजे की मांग करते हुए संसद की स्थायी समिति की **22** दिसंबर, **2014** की **81**वीं रिपोर्ट पर भरोसा किया था|
- रिपोर्ट में विवादास्पद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (**HPV**) के टीके का परीक्षण करने के लिये कुछ दवा कंपनियों को कथित तौर पर दोषारोपित किया गया था|
- इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एचपीवी टीकों का प्रयोग "मेडिकल एथिक्स का गंभीर उल्लंघन है साथ ही मानवाधिकारों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
- इसके बाद मामले को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास इस बात का निर्धारण करने के लिये भेजा गया था कि क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है और क्या इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं|
- मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने कहा कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है|

Copyright– Drishti The Vision Foundation

घरेलू हिंसा अधिनियम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू

सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम के विस्तार के संबंध में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में दिये गए निर्णय को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, जो कि उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिये बनाया गया है, जो वैवाहिक संबंध के दौरान महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, के साथ ही यह अधिनियम तलाकशुदा महिलाओं को भी उनके पूर्व पतियों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि 'घरेलू हिंसा' को केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, उस कानून पर आधारित प्रश्न (**question of law**) के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार, घरेलू रिश्ते (**domestic relationship**) के दायरे में रक्तसंबंध, विवाह, विवाह जैसी प्रकृति वाला संबंध, दत्तक ग्रहण (**adoption**) और संयुक्त परिवार में रह रहे सदस्यों को शामिल किया जाता है। अतः इस निर्णय के इतर जाने का कोई कारण नज़र नहीं आता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्याख्या में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके अनुसार घरेलू संबंध केवल पति-पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बहन और माँ जैसे अन्य रिश्ते भी शामिल हैं।
- घरेलू संबंध के अंतर्गत वैसे सभी रिश्ते शामिल हैं, जहाँ वर्तमान में दो लोग एक साथ रहते हैं या अतीत में किसी साझा घर (**shared household**) में एक साथ रह चुके हैं।
- न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है। अतः अधिनियम की पहुँच केवल वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत रह रही महिलाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये। साथ ही कहा गया कि तलाकशुदा पति हिंसा करने के लिये अपनी पूर्व पत्नी के कार्यस्थल में प्रवेश करके हिंसा का सहारा ले सकता है या उसके साथ संवाद करने का प्रयास कर सकता है या उसके रिश्तेदारों या आश्रितों को हिंसा करने की धमकी दे सकता है।
- न्यायालय के अनुसार, यदि तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है या उसकी अन्य मूल्यवान संपत्ति को लौटाने से इनकार कर देता है तो इस कृत्य को भी घरेलू हिंसा माना जाएगा।
- ध्यातव्य है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, **2005** महिलाओं को घरेलू स्तर पर हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिये लाया गया था।
- यह अधिनियम **26** अक्तूबर, **2006** से प्रभाव में आया।

लैंगिक पक्षपात पाँच साल से कम उम्र की बालिकाओं की अतिरिक्त मौतों का प्रमुख कारण : लांसेट अध्ययन

द लांसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल के अनुसार भारत में पाँच साल से कम उम्र की बालिकाओं की 'अतिरिक्त मौतों' (excess deaths) के पीछे लैंगिक पक्षपात प्रमुख कारण है। भारत में पाँच साल से कम उम्र की बालिकाओं की प्रतिवर्ष 2,39,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 का योगदान है।

प्रमुख बिंदु

- ये अतिरिक्त मौतें देश के **90** प्रतिशत जिलों में हुई हैं।
- एक दशक में यह संख्या लगभग **2.4** मिलियन हो जाती है, जो काफी चिंताजनक है।
- 'अतिरिक्त मृत्यु' दोनों लिंगों के अंतर्गत अपेक्षित मृत्यु दर और वास्तव में दर्ज की गई मृत्यु दर के मध्य का अंतर होता है।
- वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिये शोधकर्त्ताओं ने उन **46** देशों में इन दो संख्याओं के बीच अंतर की गणना की, जहाँ लैंगिक पक्षपात की समस्या नहीं थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- तत्पश्चात् उन्होंने इस अंतर का उपयोग एक समीकरण को परिभाषित करने के लिये किया, जिसकी सहायता से भारत में अतिरिक्त मौतों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सका।
- यह अध्ययन जन्म के पश्चात् की मौतों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि यह समस्या मुख्य रूप से उत्तर भारत में व्याप्त है।
- इस क्षेत्र के चार बड़े राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश) भारत में होने वाली पाँच साल से कम उम्र की बालिकाओं की अतिरिक्त मौतों में दो-तिहाई का योगदान देते हैं।
- उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त महिला मृत्यु दर (**excess female mortality**) **30.5** दर्ज की गई, जबकि बिहार में यह आँकड़ा **28.5**, राजस्थान में **25.4** और मध्य प्रदेश में यह **22.1** था।
- **2000-2005** की अध्ययन अवधि में **0-4** वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में अतिरिक्त मृत्यु दर का औसत स्तर **18.5** प्रति **1000** जीवित जन्म था।
- अध्ययन के अनुसार, इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण और कृषि गतिविधियों में संलग्न क्षेत्र थे।
- इन क्षेत्रों में शिक्षा का निम्न स्तर, उच्च जनसंख्या घनत्व, निम्न सामाजिक-आर्थिक विकास जैसी समस्याएँ विद्यमान पाई गईं।

ग्राम स्वराज अभियान आंशिक रूप से सफल

- ग्राम स्वराज अभियान डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर **14** अप्रैल को ऐसे गाँवों को लक्षित करके शुरू किया गया था, जहाँ दलित और जनजातीय लोगों का आधिक्य है।
- यह अभियान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन के पश्चात् उपजे देशव्यापी विरोध के बाद शुरू किया गया था।
- इसका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना, गरीबों हेतु चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करवाना है।
- कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के ऐसे गाँवों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जहाँ चुनावी आचार संहिता लागू थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरणीय घटनाक्रम

हरित क्रांति कृषोन्नति योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में अम्ब्रेला योजना 'हरित क्रांति कृषोन्नति योजना' (Green Revolution Krishonnati Yojana) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। इस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत 11 योजनाएँ/मिशन शामिल हैं।

- इन योजनाओं का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर तथा उत्पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्चित करके किसानों की आय बढ़ाना है।
- ये योजनाएँ **33,269.976** करोड़ रुपए के व्यय के साथ तीन वित्तीय वर्षों यानी **2017-18, 2018-19** और **2019-20** के लिये जारी रहेंगी।

इसमें शामिल योजनाएँ

I. **बागबानी के एकीकृत विकास के लिये मिशन** (Mission for Integrated Development of Horticulture - MIDH)

- **7533.04** करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी।
- इसका उद्देश्य बागबानी उत्पादन बढ़ाकर, आहार सुरक्षा में सुधार करके तथा कृषि परिवारों को आय समर्थन देकर बागबानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।

II. **तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन** (National Mission on Oil Seeds and Oil Palm - NMOOP) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission - NFSM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **6893.38** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य देश के चिन्हित ज़िलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।
- यह कार्य व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता बहाल करके और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाकर किया जाएगा।
- इसका एक और उद्देश्य खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना तथा खाद्य तेलों के आयात को घटाना है।

III. **सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन** (National Mission for Sustainable Agriculture - NMSA)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **3980.82** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के मेल-जोल से सतत् कृषि को प्रोत्साहित करना है।

IV. **एसएमएई** (Submission on Agriculture Extension – SMAE)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **2961.26** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा संचालित विस्तार व्यवस्था को मज़बूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है, ताकि कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था संस्थागत बनाई जा सके।
- इसके साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपायों को नवाचारी बनाया जा सके।

V. **बीज तथा पौध रोपण** सामग्री पर **उप-मिशन** (Sub-Mission on Seeds and Planting Material - SMSP)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **920.6** करोड़ रुपए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका उद्देश्य प्रमाणित/गुणवत्ता संपन्न बीज का उत्पादन बढ़ाना, एसआरआर में वृद्धि करना, कृषि से बचे बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बीज प्रजनन श्रृंखला को मज़बूत बनाना, बीज उत्पादन में नए टेक्नोलॉजी और तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण परीक्षण आदि को बढ़ावा देना है।

VI. **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन** (Sub-Mission on Agricultural Mechanisation - SMAM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **3250** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों तक कृषि मशीनीकरण पहुँच में वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण बढ़ाना, जहाँ कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, जमीन के छोटे पट्टे और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिये 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना, उच्च तकनीकी एवं उच्च मूल्य के कृषि उपकरणों का केंद्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता सृजन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता कायम करना, देश भर में स्थापित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रमाणीकरण तथा प्रदर्शन, परीक्षण सुनिश्चित करना है।

VII. **पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उप-मिशन** (Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine - SMPPQ)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **1022.67** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों, अनचाहे पौधों, छोटे कीटाणुओं और अन्य कीटाणुओं आदि से कृषि फसलों तथा उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करना है।
- साथ ही इसके अंतर्गत बाहरी प्रजाति के कीड़े-मकोड़ों के हमलों से कृषि जैव सुरक्षा करने और विश्व बाज़ार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करने और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहित करने पर सबसे अधिक बल दिया गया है।

VIII. **कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएँ तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना** (Integrated Scheme on Agriculture Census, Economics and Statistics - ISACES)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **730.58** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कृषि गणना करना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना, देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, कृषि सांख्यिकी के तौर-तरीकों में सुधार करना और फसल रोपण से लेकर फसल के काटे जाने तक की स्थिति के बारे में आनुक्रमिक सूचना प्रणाली बनाना है।

IX. **कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना** (Integrated Scheme on Agricultural Cooperation (ISAC)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **1902.636** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण और कमज़ोर वर्गों के लिये कार्यक्रमों में सहकारी विकास में तेज़ी लाना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- साथ ही इसके अंतर्गत कपास उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य दिलाने तथा विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर गुणवत्ता संपन्न रूई की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है।

X. **कृषि विपणन पर एकीकृत योजना** (Integrated Scheme on Agricultural Marketing - ISAM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी **3863.93** करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कृषि विपणन संरचना विकसित करना, कृषि विपणन संरचना में नवाचार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा स्पर्द्धी विकल्पों को प्रोत्साहित करना है।
- कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये संरचना सुविधा उपलब्ध कराना, राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना तथा कृषि सामग्रियों के अखिल भारतीय व्यापार के लिये साझा ऑनलाइन बाज़ार प्लेटफॉर्म के ज़रिये बाज़ारों को एकीकृत करना है।

XI. **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस** (National e-Governance Plan - NeGP-A)

- केंद्र की कुल हिस्सेदारी **211.06** करोड़ रुपए।
- इसका लक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान और किसान केंद्रित सेवाओं को लाना है।
- इस योजना का उद्देश्य विस्तार सेवाओं की पहुँच एवं प्रभाव को बढ़ाना, पूरे फसल चक्र में सूचनाओं और सेवाओं तक किसानों की सेवाओं में सुधार करना, केंद्र/राज्य की वर्तमान आईसीटी पहलों को बढ़ाना, एकीकृत करना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों को समय पर प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराकर कार्यक्रमों की क्षमता तथा प्रभाव में वृद्धि करना है।

नमामि गंगे कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System - GIS) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा कायाकल्प कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1767 में गठित भारत के सबसे पुराने विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जोड़ा गया है। इस परियोजना को कार्यकारी समिति की बैठक में मंज़ूर किया गया था और इसकी अनुमानित लागत 86.84 करोड़ रुपए है।

इस मिशन का लक्ष्य क्या है?

- एनएमसीजी का लक्ष्य राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण तथा इसका कार्यान्वयन है।
- परियोजना में डिजिटल इलिवेशन मॉडल (**Digital Elevation Model - DEM**) प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, जो सटीक आँकड़ा संग्रह सुनिश्चित करता है।
- यह नदी-बेसिन प्रबंधन योजना का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- डीईएम प्रौद्योगिकी पूरे क्षेत्र की स्थलाकृति की पहचान करता है। इससे नीति निर्माता आसानी से उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार यह नीति निर्माण प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है। इस तकनीक से महत्त्वपूर्ण स्थानों की पहचान की जा सकती है।
- जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग विकेंद्रीकरण को भी सुनिश्चित करेगा। संग्रह किये गए आँकड़ों तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी पोर्टल व मोबाइल एप के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ साझा की जा सकती है।
- प्रभावी निर्वहन प्रबंधन के लिये औद्योगिक, व्यावसायिक और सभी अन्य प्रकार की संस्थाओं से निकलने वाले सीवेज की मैपिंग की जाएगी।
- जीआईएस प्रौद्योगिकी से नदी के दोनों किनारों पर प्रस्तावित उच्च क्षमता वाली संरक्षित क्षेत्रों के नियमन में सहायता मिलेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अन्य प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में गंगा बेसिन राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक परियोजना को मंज़ूरी दी है, ताकि वे समय-समय पर जल की गुणवत्ता सत्यापित कर सकें।
- प्रदूषण मूल्यांकन और जल गुणवत्ता निगरानी के लिये प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे तथा प्रशिक्षित विज्ञानकर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।

नमामि गंगे योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना 'नमामि गंगे' को मई **2015** में स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत, गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
- बेहतर और टिकाऊ परिणाम हासिल करने के लिये इस कार्यक्रम में अहम बदलाव करते हुए गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल किया गया है।
- गंगा स्वच्छता मिशन में राज्यों और ज़मीनी स्तर के संस्थानों, जैसे- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया गया है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (**National Mission for Clean Ganga-NMCG**) द्वारा लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (National Mission for Clean Ganga)

- यह एक स्वायत्त निकाय है, जो केंद्र में वित्तीय योजना, निगरानी और समन्वय संबंधी कार्य करता है।
- इससे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दो उद्देश्यों, प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के संरक्षण के उद्देश्य के लिये उपयुक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा मदद दी जा रही है।
- एनएमसीजी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक या आकस्मिक प्रकार की सभी कार्रवाई करने का अधिकार है।

बोल्गार्ड-2 का पेटेंट ख़ारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मोन्सेंटो के बोल्गार्ड-2 पेटेंट को रद्द करने का फैसला दिया गया, जो समस्याजनक बताया जा रहा है।

क्या है बोल्गार्ड-2 ?

- यह बी.टी. कपास (**Bt Cotton**) से संबंधित तकनीक है, जो किसानों को कीटनाशकों के कम प्रयोग के साथ वृहद् स्तर पर कीट नियंत्रण की सुविधा भी प्रदान कराती है।
- बोल्गार्ड **-2** एक कीटनाशक तकनीक है, जो मिट्टी के बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजेनेसिस (बीटी) से **Cry2Ab** नामक जीन का उपयोग करती है।
- इसके द्वारा जहाँ कृषक हानिकारक कीटों, जैसे- एफिड्स तथा माइट्स की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण कर पाने में सक्षम होते हैं।
- वहीं दूसरी ओर वे कृषि के लिये लाभप्रद कीटों की संख्या में अप्रत्यक्ष रूप से मात्रात्मक वृद्धि भी करवा सकते हैं।
- इसका मतलब है कि कीट नियंत्रण लागत में कमी के साथ और बजटीय आवंटन में भी कमी होती है।
- इस तकनीक का विकास 'मोंसेंटो' **(Monsento)** नाम की एक अमेरिकी मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनी ने किया है, जो 'जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज' **(GE Seed)** एवं 'राउंड अप' ('ग्लायफोसेट' आधारित शाकनाशक) के अग्रणी निर्माता के रूप में विख्यात है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बीटी (BT) क्या है?

- बेसिलस थुरिनजेनेसिस (**Bacillus Thuringiensis-BT)** एक जीवाणु है, जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है।
- यह प्रोटीन कीटों के लिये हानिकारक होता है। इसके नाम पर ही बीटी फसलों का नाम रखा गया है।
- बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं, जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, ताकि फसल का कीटों से बचाव किया जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पेटेंट रद्द करने के कारण

- न्यायाधीश द्वारा तर्क दिया गया कि मोन्सेंटो के बीटी जीन कपास किसानों के लिये बेकार हैं, क्योंकि कपास में जब तक हाइब्रिड जीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक यह कीटों को दूर करने में सक्षम नहीं है।
- साथ ही कपास पौधों का यह जीनी हेर-फेर एक पौधे की प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया को भी नष्ट करता है।
- इस प्रकार इस विधि द्वारा पौधों के जैविक प्रक्रिया में अनपेक्षित दखलंदाजी की ज़रूरत होती है।
- इस तर्क ने मोन्सेंटो के पेटेंट को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि भारत के **पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (जे)** के तहत, बीज या पौधे बनाने के लिये जैविक प्रक्रिया पेटेंट नहीं की जा सकती है।
- हालाँकि यह तर्क सही है, किंतु इससे कुछ पौधों के लिये जैव प्रौद्योगिकी नवाचार भारत में पेटेंट योग्य होंगे।
- इस आधार पर यह एक खतरनाक निष्कर्ष है, क्योंकि पेटेंट संरक्षण की कमी कृषि-बायोटेक उद्योग द्वारा महत्त्वपूर्ण शोध को हतोत्साहित करेगी।

जीएम तकनीक क्या है?

- इसके लिये टिश्यू कल्चर, म्युटेशन यानी उत्परिवर्तन और नए सूक्ष्मजीवों की मदद से पौधों में नए जीनों का प्रवेश कराया जाता है।
- इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेशियंस
- **(Agrobacterium Tumefaciens)** नामक सूक्ष्मजीव से संक्रमित कराया जाता है।
- इस सूक्ष्मजीव को टी-डीएनए (**Transfer-DNA)** नामक एक विशिष्ट जीन से सक्रंमित करके पौधे में डीएनए का प्रवेश कराया जाता है।
- इस एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेशियंस के टी-डीएनए को वांछित जीन से सावधानीपूर्वक प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कीट प्रतिरोधक होता है।
- इस प्रकार पौधे के जीनोम में बदलाव लाकर मनचाहे गुणों की जीनांतरित फसल प्राप्त की जाती है।

जीएम फसल

- जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिये किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है।
- जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है, जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है।
- **1982** में तंबाकू के पौधे में इसका पहला प्रयोग किया गया था, जबकि फ्राँस और अमेरिका में **1986** में पहली बार इसका फील्ड परीक्षण किया गया था।
- जीएम फसलों के जीन में बायो-टेक्नोलॉजी और बायो-इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तन किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में पौधे में नए जीन यानी डीएनए को डालकर उसमें ऐसे मनचाहे गुणों का समावेश किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उस पौधे में नहीं होते।
- इस तकनीक के ज़रिये तैयार किये गए पौधे कीटों, सूखे जैसी पर्यावरण परिस्थिति और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं।

जीएम बीजों के लाभ

- जीएम बीज यानी कृत्रिम तरीके से बनाया गया फसल बीज। जीएम फसलों के समर्थक मानते हैं कि यह बीज साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता प्रदान करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इससे कृषि क्षेत्र की कई समस्याएँ दूर हो जाएंगी और फसल उत्पादन का स्तर सुधरेगा। जीएम फसलें सूखा-रोधी और बाढ़-रोधी होने के साथ कीट प्रतिरोधी भी होती हैं।
- जीएम फसलों की यह विशेषता होती है कि अधिक उर्वर होने के साथ ही इनमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती।

जीएम बीजों के नुकसान

- भारत में इन फसलों का विरोध करने के कई कारण हैं। जीएम फसलों की लागत अधिक पड़ती है, क्योंकि इसके लिये हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है।
- बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के कारण किसानों को महँगे बीज और कीटनाशक उनसे खरीदने पड़ते हैं।
- इस समय हाइब्रिड बीजों पर ज़ोर दिया जा रहा है और अधिकांश हाइब्रिड बीज, चाहे जीएम हों अथवा नहीं या तो दोबारा इस्तेमाल लायक नहीं होते; और अगर होते भी हैं तो पहली बार के बाद उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता।
- इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जैव विविधता के लिये हानिकारक माना जाता है। भारत में इस प्रौद्योगिकी का विरोध करने वालों का कहना है कि हमारे देश में कृषि में इतनी जैव-विविधता है, जो जीएम प्रौद्योगिकी को अपनाने से खत्म हो जाएगी।
- इसके अलावा इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि जीएम खाद्य का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। एक तो उसे खाने से, दूसरा उन पशुओं के दूध और मांस के ज़रिये, जो जीएम चारे पर पले हों।

अधिकांश बाँस मिशन क्यों है असफल?

बजट 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (NMB) के लिये 1,290 करोड़ आवंटित किये जाने के बाद पूर्वोत्तर में बाँस के किसानों और उद्यमियों को अपेक्षाकृत कम राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व गठित विभिन्न निकाय भी अपने उदेश्यों की प्राप्ति में असफल साबित हुए हैं।

क्या है पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (NMB)?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 14वें वित्त आयोग (2018-19 तथा 2019-20) की शेष अवधि के दौरान सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission-NBM) को स्वीकृति दी गई है।

मिशन

- संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादकों (किसानों) का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बाँस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा।

व्यय

- **14**वें वित्त आयोग (**2018-19** तथा **2019-20**) की शेष अवधि के दौरान मिशन लागू करने के लिये **1290** करोड़ रुपए का (केंद्रीय हिस्से के रूप में **950** करोड़ रुपए के साथ) प्रावधान किया गया है।

लाभार्थी

- इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय दस्तकारों और बाँस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को लाभ होगा। पौधरोपण के अंतर्गत लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव किया गया है।
- आशा है कि यह मिशन **4,000** शोधन/उत्पाद विकास इकाइयाँ स्थापित करेगा और **1,00,000** हेक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विवरण

- पुनर्गठित एनबीएम का प्रयास है कि कृषि आय के पूरक के रूप में गैर-वन सरकारी और निजी भूमि में बाँस पौधरोपण क्षेत्र में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन की दिशा में मज़बूती से योगदान करना।
- नवाचारी प्राथमिक प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना करके, शोधन तथा मौसमी पौधे लगाकर, प्राथमिक शोधन करके, संरक्षण प्रौद्योगिकी तथा बाज़ार अवसंरचना स्थापित करके फसल के बाद के प्रबंधन में सुधार करना।
- सूक्ष्म, लघु और मझोले स्तरों पर उत्पाद के विकास को प्रोत्साहित करना और बड़े उद्योगों की पूर्ति करना।
- भारत में अविकसित बाँस उद्योग का कायाकल्प करना।
- कौशल विकास, क्षमता सृजन और बाँस क्षेत्र के विकास के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना।

NMBA क्या है?

- ध्यातव्य है कि संसद ने भारतीय वन अधिनियम, **1927** में संशोधन करते हुए गैर-वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बाँस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया है।
- परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की कटाई और परिवहन के लिये अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- **1,400** करोड़ रुपए की राशि से पूर्व में गठित **NMB** की विफलता के बाद ही उत्तर-पूर्व में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुँच केंद्र **(NECTAR)** नामक एक नवीन पहल को अपनाया गया।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग **(DST)** ने वर्ष **2004** में **200** करोड़ रुपए के व्यय के साथ बाँस आवेदन **(NMBA)** पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था।

उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुँच केंद्र (NECTAR)

- यह एक स्वायत्तशासी केंद्र है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित है, इसका मुख्यालय शिलॉन्ग (मेघालय) में है।
- यह केंद्र, केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों और संस्थानों के साथ उपलब्ध विशिष्ट सीमा प्रौद्योगिकियों का उपयोग और लाभ उठाने पर विचार करेगा।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सहायता के लिये, **NECTAR** जैव विविधता चिंताओं, वाटरशेड प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, बागवानी, आधारभूत संरचना, योजना एवं विकास, योजना और निगरानी तथा अत्याधुनिक मेसनेट का उपयोग कर टेली-स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों में विकास के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करेगा।

- हालाँकि **NECTAR** केवल बाँस से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा क्षेत्रों के स्थानीय और प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं।
- **NECTAR** स्थानीय उत्पादों के बाज़ार में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के अलावा, इस मिशन के तहत महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास करना भी शामिल था।

आगे की राह

- दुनिया का सबसे बड़ा बाँस क्षेत्र भारत में स्थित है। यह देश की वन भूमि का लगभग **13%** क्षेत्र कवर करता है।
- ध्यातव्य है कि भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में बाँस का **67%** भाग शामिल हैं और वैश्विक बाँस भंडार का **45%** हिस्सा है।
- इस क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता वाले बाँस की लगभग **35** प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस लिहाज़ से देखा जाए तो उत्तर-पूर्वी राज्यों के समग्र विकास में बाँस मिशन की सफलता अहम भूमिका अदा करेगी, क्योंकि बँस पर न केवल यहाँ निवास करने वाले लोगों की आजीविका निर्भर करती है, बल्कि उनकी खास सांस्कृतिक पहचान भी बनी हुई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विक्टोरिया झील की जैव विविधता को खतरा

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा ज़ारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण कई प्रजातियों सहित, विक्टोरिया झील बेसिन की स्थानिक ताज़ा पानी की प्रजातियों की 76 प्रतिशत प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं।

रिपोर्ट संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट को विक्टोरिया झील में ताज़े पानी की जैव विविधता (**Freshwater biodiversity in the Lake Victoria)** के नाम से ज़ारी किया गया है।
- इस रिपोर्ट में पूर्वी अफ्रीका की झील विक्टोरिया बेसिन के स्थानिक मछलियों, मोलुस्क, ड्रैगनफ्लाई, केकड़ों, श्रिंप और जलीय पौधों सहित **651** ताज़े पानी की प्रजातियों के वैश्विक रूप से विलुप्त होने के जोखिम का आकलन किया गया है।

विक्टोरिया झील

- यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है।
- इसे 'डार्विन के ड्रीमपोंड' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील (प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील) है।
- इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है (प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील है)।
- यह स्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी है।
- विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है।
- विक्टोरिया झील अपने उच्च स्तर के अद्वितीय जैव विविधता के लिये जानी जाती है।
- विक्टोरिया झील का बेसिन मत्स्यपालन, जंगलों, आर्द्रभूमियों और रेंजलैंड सहित विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जो स्थानीय समुदायों को भोजन और स्वच्छ पानी तथा उन्हें आजीविका प्रदान करने में मदद करते हैं।

- मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि ताज़े पानी की प्रजातियों में से **204** स्थानिक प्रजातियाँ विक्टोरिया झील बेसिन से संबंधित हैं और इन स्थानिकों में से तीन-चौथाई **(76%)** के विलुप्त होने का खतरा है।
- इस रिपोर्ट में विक्टोरिया झील बेसिन में जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों और मशीनीकृत खेती को बताया गया है।
- **IUCN** की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकप्रिय मछली प्रजातियों, केकड़ों, मोलुस्क और श्रिंपों, जो कि अधिकतर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में भोजन के मुख्य स्रोत हैं, इन्हें अत्यधिक शोषण, औद्योगिक प्रदूषण और जल के तापमान में वृद्धि तथा आक्रामक प्रजातियों जैसे कारणों से सबसे बड़ा खतरा है।
- रिपोर्ट में अत्यधिक मत्स्यन से अफ्रीकी लंगफिश (ईल जैसी मछली) की कमी की बात कही गई है।
- इसके साथ ही बताया गया है कि यहाँ मछली पकड़ने की खराब प्रथाओं और पर्यावरणीय गिरावट के कारण आर्द्रभूमियाँ कृषि भूमि में परिवर्तित हो गई हैं।

अप्रैल 2019 से NCR में BS-VI ईंधन की उपलब्धता

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक हलफनामे के माध्यम से ज़वाब दिया है कि BS-VI ऑटो ईंधन 1 अप्रैल, 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी हिस्सों में उपलब्ध होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि **1** अप्रैल, **2019** तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में **23** ज़िलों में से **17** में **BS-VI** ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके साथ ही **1** अप्रैल, **2019** को या उससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में भी ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभिन्न मंत्रालयों सहित पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय तथा सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों, जैसे-एआरएआई और हरित प्राधिकरण ने नए **BS-VI** मानकों को स्थापित किया है।

क्या हैं भारतीय उत्सर्जन मानक?

- **BS** मानक यूरोपीय नियमों पर आधारित हैं।
- अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग होते हैं, जैसे- अमेरिका में ये टीयर-**1**, टीयर-**2** के रूप में होते हैं तो यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- भारत में सर्वप्रथम उत्सर्जन नियमों की शुरुआत **1991** में हुई थी और तब ये नियम केवल पेट्रोल इंजन से चलने वाले वाहनों पर लागू होते थे।
- **BS** यानी भारत स्टेज वाहन उत्सर्जन मानकों को केंद्र सरकार ने वर्ष **2000** में शुरू किया था।
- इसके बाद **2005** और **2006** के आस-पास वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये **BS-2** और **BS-3** मानकों की शुरुआत की गई। लेकिन **BS-3** मानकों का अनुपालन वर्ष **2010** में शुरू किया जा सका।
- भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन और इंजन तथा स्पार्क इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को विनियमित करने के मानक हैं।
- इन मानकों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वातावरण में घुल रहे ज़हर पर रोक लगाना है।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के **BS** मानक के आगे संख्या- **2, 3** या **4** और अब **6** के बढ़ते जाने का मतलब है, उत्सर्जन के बेहतर होते मानक, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- अर्थात् **BS** के आगे जितना बड़ा नंबर है, उस गाड़ी से होने वाला प्रदूषण उतना ही कम।
- विशेषज्ञों का कहना है कि **BS-4** के मुकाबले **BS-VI** डीजल में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ **70** से **75%** तक कम होते हैं।
- **BS-VI** मानक लागू होने से प्रदूषण में काफी कमी होगी, विशेषकर डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आएगी।
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के मामले में **BS-VI** स्तर का डीजल काफी बेहतर होगा।
- हवा में **PM 2.5** का अधिकतम स्तर **60 mgcm** तक होना चाहिये।
- **BS-VI** में यह मात्रा **20** से **40 mgcm** होती है, जबकि **BS-4** में **120 mgcm** तक होती है।
- **1**अप्रैल से दिल्ली में **BS-VI** की शुरुआत के बाद सरकार **1** अप्रैल, **2019** से देश के **13** बड़े शहरों में इसे शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।
- **2020** से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा अर्थात् **1** अप्रैल, **2020** के बाद जो भी वाहन सड़क पर आएंगे, वे **BS-VI** मानक के अनुरूप होंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

दूरसंचार विभाग (DOT) ने नई दूरसंचार नीति का मसौदा, **'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018'** के नाम से जारी किया है। ध्यातव्य है कि इसके तहत, वर्ष 2022 तक 40 लाख नए रोजगार सृजन करने के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के साथ ही अन्य कई सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नई पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत, टेलिकॉम सेक्टर को कर्ज से उबारने पर ध्यान दिया गया है।
- इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार को आसान बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में निम्नलिखित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है-
  - ✓ 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 gbps ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान कराना।
  - ✓ 2022 तक 10 gbps ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान कराना।
  - ✓ टेलिकॉम सेक्टर में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना।
  - ✓ 50 mbps स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाना।
  - ✓ 40 लाख नए लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना।
  - ✓ 2020 तक यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर घनत्व (unique mobile subscriber density) को 55 तथा 2022 तक 65 तक बढ़ाना।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत, **'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान' (National Broadband Mission)** की स्थापना की बात कही गई है, जो **USOF** और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वित्त पोषण माध्यम से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड की पहुँच सुनिश्चित करेगा।
- इसके साथ ही नई नीति के तहत, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी **(SCT)** को मज़बूत करने के बारे में भी उल्लेख किया गया है।
- **50** प्रतिशत घरों तक लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की पहुँच सुनिश्चित करना तथा लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवाएँ प्रारंभ करना।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में डिजिटल संचार के लिये टिकाऊ और किफायती पहुँच सुनिश्चित करने हेतु स्पेक्ट्रम की इष्टतम मूल्य निर्धारण (**Optimal Pricing of Spectrum)** की नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिये मिड बैंड स्पेक्ट्रम, विशेष तौर पर **3 GHz** से **24 GHz** रेंज को पहचानने का प्रस्ताव निहित है।
- बढ़ती मांग को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार **E (71-76/81-86 GHz)** और **V (57-64 MHz)** बैंड में मोबाइल टावरों के बीच संकेतों को प्रेषित करने के लिये उच्चतम रोडमैप का रेखांकन किया गया है।
- ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने के लिये दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा करना इस ड्राफ्ट में शामिल है। गौरतलब है कि इन सभी शुल्कों के कारण दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
- डिजिटल संचार उपकरण, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं पर कर तथा लेवी को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में निहित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य निवेश, नवाचार और उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले विनियामक बाधाओं और नियामक बोझ को कम करना है।
- भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाज़ार है और इसमें दुनिया का सबसे सफलतम दूरसंचार बाज़ार बनने की क्षमता है। यदि **2022** तक भारत इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के आईसीटी विकास सूचकांक (**ICT**) में **134**वें रैंक के साथ **50** शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा, किंतु इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों के बीच बड़े समन्वय की आवश्यकता होगी और सरकार द्वारा इस नीति के सुचारु क्रियान्वयन के साथ ही टेलिकॉम क्षेत्र में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करना भी आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जा सके।

कॉर्पोरेट और विरासत

कॉर्पोरेट समूह डालमिया ने भारत में 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' (Adopt a Heritage) योजना के तहत दिल्ली स्थित **लाल किला** तथा आंध्र प्रदेश के कदपा ज़िला स्थित **गंदिकोटा किले** को गोद लिया है।

'एडॉप्ट ए हेरिटेज' (Adopt a Heritage)

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर **27** सितंबर, **2017** को 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' की शुरुआत की गई थी। यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई एक सहयोगी योजना है।
- इसमें हमारे समृद्ध और विविध विरासत स्मारकों को पर्यटन मैत्री बनाने की क्षमता है। यह योजना भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (**ASI**) के प्रमुख स्मारकों में शुरू की गई है, जिसके तहत अभी तक देश के **95** स्मारकों को शामिल किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत अगले पाँच साल तक डालमिया, भारत में इन विरासत स्थलों में बुनियादी एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनके संचालन तथा रख-रखाव की ज़िम्मेदारी भी निभाएगा।
- इस समझौते के तहत डालमिया भारत, छह महीने के भीतर लाल किले में ज़रूरी सुविधाएँ जैसे- एप बेस्ड गाइड, डिजिटल स्क्रीनिंग, फ्री वाईफाई, डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क, पानी की सुविधा, टेक्टाइल मैप, रास्तों पर लाइटिंग, बैटरी से चलने वाले वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सर्विलांस सिस्टम आदि उपलब्ध कराएगा।
- कंपनी सीएसआर इनिशिएटिव यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के माध्यम से इनका रख-रखाव करने और पर्यटकों के लिये शौचालय, पीने का पानी, रोशनी की व्यवस्था करने और क्लॉकरूम आदि बनवाने के लिये लगभग **5** करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी।
- हालाँकि एडॉप्ट ए हेरिटेज की वेबसाइट पर अनुपालन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यदि कंपनी भारत के पुरातत्त्व सर्वेक्षण (**ASI**) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है तो पाँच वर्ष का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

भारत के पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों और भग्नावशेषों का रखरखाव करना है।
- प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक अधिनियम,**1958** के प्रावधान **ASI** का मार्गदर्शन करते हैं।
- पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, **1972 ASI** के कामकाज को दिशा देता है।
- **ASI** राष्ट्रीय महत्त्व के प्रमुख पुरातात्त्विक स्थलों की बेहतर देखभाल के लिये संपूर्ण देश को **24** मंडलों में बाँटता है।

- इसके साथ ही यदि गोद लेने के बाद जब तक स्मारक की वैधानिक स्थिति नहीं बदलेगी तब तक सरकार की अनुमति के बिना जनता से कोई पैसा एकत्र नहीं किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

दिल्ली का लाल किला

- दिल्ली के लाल किले को बसाने का श्रेय शाहजहाँ को है।
- शाहजहाँ ने **1638** ई. में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहाँनाबाद नामक नगर की नींव डाली।
- इस नगर में **14** फाटक और चाँदनी चौक बाज़ार बनाया गया एवं बाज़ार के बीच से नहर निकाली गई, जिसे 'नहर-ए-विहिस्त' कहा गया।
- इसी शाहजहाँनाबाद में अष्टभुजाकार लाल किले का निर्माण करवाया गया।
- **648** ई. में लाल बलुआ पत्थर निर्मित इस किले में रंगमहल, हीरामहल, नौबतखाना, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आदि महत्त्वपूर्ण इमारतें हैं।
- लाल किले में बनी दीवान-ए-आम इमारत के स्तंभों पर नौ द्वारों वाली लहरदार मेहराबों का एक कक्ष है, जिसका एक हिस्सा बंगाल शैली की छत से बना है।
- इसी छत के नीचे तख़्त-ए-ताउस से लगे हुए रंगमहल का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिये किया गया था।
- लाल किले में औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसकी बाईं तरफ हयात बख्त बाग बनाया गया है।

विद्युतीकरण गाँव की परिभाषा में बदलाव की ज़रूरत नहीं: विद्युत मंत्रालय

विद्युतीकृत गाँव की परिभाषा को लेकर हुई तमाम आलोचनाओं के बावजूद विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान विद्युतीकृत गाँव की आलोचनात्मक परिभाषा को संशोधित नहीं कर रही है। ध्यातव्य है कि एक गाँव को विद्युतीकृत तब माना जाता है, जब उस गाँव के कम-से-कम 10% घरों में बिजली कनेक्शन हो।

विद्युतीकृत गाँव की परिभाषा क्या है?

एक विद्युतीकृत गाँव को निम्न आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है:

1. निवास योग्य स्थान पर बुनियादी ढाँचे के प्रावधान जैसे-वितरण ट्रांसफॉर्मर और आसपास के इलाकों में लाइनों की सुविधा।

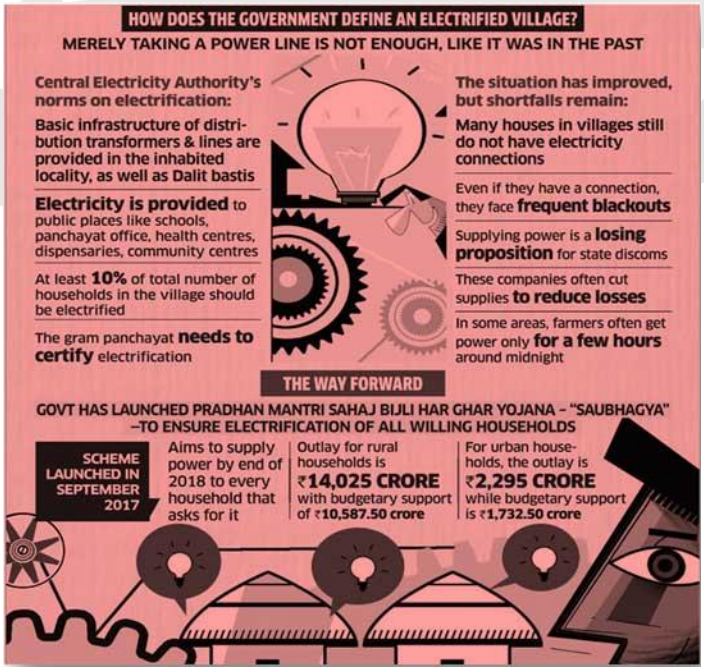

Copyright– Drishti The Vision Foundation

2. सार्वजनिक स्थानों जैसे- स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों में बिजली की उपलब्धता।
3. गाँव के परिवारों की कुल संख्या में से कम से कम 10% के पास विद्युत कनेक्शन हो।
4. ध्यातव्य है कि अक्तूबर 1997 में स्थापित इसी परिभाषा के अनुसार एक गाँव की पहचान विद्युतीकृत गाँव के रूप में की जाती है।

सौभाग्य योजना क्या है?

- सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से **60%** अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से **10%** धन खर्च करेंगे और शेष **30%** राशि बैंकों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करनी होगी।
- विशेष राज्यों के लिये केंद्र सरकार योजना का **85%** अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल **5%** धन लगाना होगा और शेष **10%** बैंकों से कर्ज़ लेना होगा।
- ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा।
- ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को **2018** तक प्रदान किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित **200** से **300** वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये **5** एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।
- बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख **5** सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।
- बिजली कनेक्शन के लिये **2011** की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें **500** रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे **10** किश्तों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।

अफीम की खेती के निजीकरण की राह में पहला कदम

केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के निजीकरण और नारकोटिक कच्चे माल के निष्कर्षण की दिशा में पहला कदम उठाया है। सरकार ने फसल उपज में सुधार करने वाली नई तकनीक के माध्यम से पोस्ता (poppy) की खेती और अफीम के निष्कर्षण के लिये रुसन फार्मा (Rusan Pharma) को लाइसेंस प्रदान किया है।
रुसन फार्मा कंपनी को खुली निविदा के माध्यम से दो साल की पायलट परियोजना दी गई है।

अफीम क्या होती है?

- अफीम (**Opium**) का वैज्ञानिक नाम **lachryma papaveris** है।
- अफीम के पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के **latex** को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है।
- अफीम में **12%** तक मार्फीन (**morphine**) पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हैरोइन (**heroin**), एक प्रकार का मादक पदार्थ या ड्रग तैयार की जाती है।
- अफीम मॉर्फिन (**morphine**), कोडेन (**codeine**) और बैन (**baine**) जैसे अल्कालोइड (**alkaloids**) का स्रोत होता है।
- इसका इस्तेमाल एंटी-एडिक्शन उपचारों और अत्यधिक दर्द का निवारण करने वाली दवाओं में किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पोस्त या पॉपी क्या है?

- पोस्त या पॉपी (**Poypp**) या पोस्ता भूमध्यसागर प्रदेश का देशज माना जाता है। मुख्य रूप से इसकी खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्किस्तान आदि देशों में की जाती है।
- भारत में पोस्त की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में की जाती है। भारत में पोस्त की खेती एवं व्यापार करने के लिये सरकार के आबकारी विभाग से आज्ञा लेना आवश्यक होता है।
- पोस्त के पौधे से अफीम निकलती है, जो एक नशीला पदार्थ है। पोस्त का पौधा लगभग **60** सेंटीमीटर ऊँचा होता है।
- पोस्ते की दूसरी जातियों को, जिन्हें केवल फूलों के लिये उगाया जाता है, को "शर्ली पॉपीज" कहते हैं।

भारत में अफीम की खेती

- भारत में अफीम का उत्पादन अत्यधिक नियंत्रित है। किसान अपनी उपज को केंद्र सरकार को बेचते हैं, इसके बाद इस उपज को नीमच (मध्य प्रदेश) और गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित सरकारी अफीम एवं अल्कालोइड कारखानों (**Government Opium and Alkaloid Factories)** में प्रसंस्करण के लिये भेजा जाता है।
- इसके बाद अफीम के निष्कर्षण को फार्मा कंपनियों को खाँसी की दवाई, दर्द निवारक दवाओं के निर्माण हेतु भेजा जाता है।
- लेकिन प्रदूषण की समस्याओं के कारण राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्र बंद हो गए, यही कारण है कि केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को अपग्रेड करना चाहती है।
- इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा यह है कि अफीम की खेती में निजी भागीदारी होने से किसान को उपलब्ध बीजों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और फसल की उपज की मात्रा में भी सुधार होगा, जिससे किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी।
- इसके अतिरिक्त इस कदम से भारत को निर्यात बाज़ार में अपनी जगह हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। भारत, अमेरिका और यूरोप को अफीम का निर्यात करता है।भारत को अपनी पारंपरिक लैंसिंग विधियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, परंतु अब इस परिदृश्य में बदलाव आने की संभावना है।

क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन का प्रयास

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान बैंकों समेत सभी विनियामक एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) से निपटने हेतु किसी भी व्यक्ति या इकाई द्वारा आभासी मुद्राओं (VC) के व्यवसाय को रोकने के लिये निर्देशित किया था।

प्रमुख बिंदु

- **RBI** के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आभासी मुद्राओं में काम करने वाले लोगों की सभी सेवाओं को रोकना है।
- इसके तहत ऐसे व्यक्तियों की आभासी मुद्रा में विभिन्न गतिविधियों, जैसे- खातों को बनाए रखना, पंजीकरण करना, समाशोधन करना **(clearing),** आभासी टोकन के माध्यम से ऋण देना, संपार्श्विक **(collateral)** आदि को रोकना है।
- **RBI** और वित्त मंत्रालय ने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को **पोंजी स्कीम** की तरह माना है और इन्हें मान्यता नहीं दी है।

पोंजी स्कीम

- पोंजी स्कीम से आशय ऐसी फर्जी योजनाओं अथवा निवेश से है, जिसमें संचालक पुराने निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि से देता है।
- यह एक ऐसी स्कीम होती है, जिसमें किसी व्यावसायिक गतिविधि या कारोबार में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा कर एक व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है।
- इस प्रकार यह एक चेन का रूप ले लेती है, जिसमें बाद में पैसा लगाने वाले ज्यादातर लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) क्या है?

- यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, जिसमें सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट्य के कारण इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है।
- इसे किसी केन्द्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- सन् **2009** में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से 'बिटकोइन' के नाम से पहली क्रिप्टोकरेंसी बनाई।

क्या है फिएट और नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी?

- "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी (**"non-fiat" cryptocurrency)** को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ सरकारें भी समय-समय पर एडवाइजरी ज़ारी करती रहती हैं।
- एक 'नॉन-फिएट' क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन**,** एक निजी क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है, जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है।
- "नॉन-फिएट" क्रिप्टोकरेंसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं और यह तकनीकी उन्नयन विनाशकारी साबित हो सकता है।
- यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा जारी की जाती है तो उसे फ़िएट क्रिप्टो-करेंसी कहा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि सभी क्रिप्टो-करेंसी बिटकॉइन नहीं है**,** जबकि सभी बिटकॉइन क्रिप्टो-करेंसी हैं। बिटकॉइन (**bitcoin),** एथ्रॉम (**ethereum)** और रिप्पल (**ripple)** कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो-करेंसी हैं।

सेबी के नए नियम: सचिवालय लेखा परीक्षा है अनिवार्य

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने शेयर बाज़ार की सूची में सम्मिलित सभी कंपनियों तथा ऐसी कंपनियों की "महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध" (material unlisted) सहायक कंपनियों के लिये सचिवालय लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह निर्णय कॉर्पोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समिति द्वारा अनुशंसित सामूहिक निगरानी को मज़बूत करने तथा सामूहिक स्तर पर अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से 'लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (**LODR)'** के नियमों के तहत लिया गया है।
- ध्यातव्य है कि कंपनी अधिनियम पहले से ही (**2014** से) सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिये इस तरह की लेखापरीक्षा का प्रावधान करता है।
- सेबी ने अब यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी सचिवों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों (**CFOs)** को विशेष रूप से "वरिष्ठ प्रबंधन" का हिस्सा माना जाना चाहिये।
- इसलिये बोर्ड की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (**Nomination and Remuneration Committee of the Board)** द्वारा उनके पारिश्रमिक की सिफारिश की जानी चाहिये।
- वरिष्ठ प्रबंधन के हिस्से के रूप में मुख्य वित्तीय अधिकारियों (**CFOs)** का अनिवार्य समावेशन न केवल उनकी वैधानिक भूमिका को मान्यता देता है बल्कि समग्र बोर्ड प्रशासन में उनकी ज़िम्मेदारियों और स्थितियों का भी सम्मान करता है।
- सेबी को यह उम्मीद है कि कंपनी सचिव बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये स्वयं को प्रशासनिक पेशेवरों के रूप में परिवर्तित करके इस मान्यता का सम्मान करेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सेबी

- यह भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना **1988** में हुई थी।
- सेबी अधिनियम, **1992** के माध्यम से **30** जनवरी **1992** को सेबी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।
- सेबी अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादित करता है।

उदय कोटक समिति

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारतीय कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये **2** जून, **2017** को इस समिति का गठन किया था।
- इस समिति को चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
- इस समिति के अध्यक्ष कोटक महिंद्रा बैंक के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उदय कोटक थे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

टिंबकटू के माध्यम से प्राचीन ब्रह्मांड की ओर

वैसे तो टिंबकटू (Timbuktu), अफ्रीका के माली देश का एक शहर तथा क्षेत्र, लंबे समय से सुदूर, अजीब और अज्ञात भूमि के चित्रण के लिये प्रसिद्ध रहा है। इसके समान नाम वाला क्षेत्र (जो कि वर्तनी में थोड़ा सा अलग है) भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में है, वास्तव में यह कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह किसी अन्य स्थान के समान भी नहीं है।

टिंबकटू (Timbaktu)

- यहाँ वो किसान निवास करते हैं, जो स्थायी कृषि तथा जैविक खेती में विश्वास करते हैं।
- यह **1990** तक बंजर भूमि थी जब तक कि सामाजिक कार्यकर्त्ता सी. के. गांगुली और मैरी वट्टमट्टम ने इसे गोद नहीं लिया, उन्होंने इसे स्थानीय किसानों की मदद से एक हरे स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया।
- उन्होंने इस स्थान को टिंबकटू नाम दिया, तेलुगू भाषा में इसका अर्थ **"**सरिहद्दू रेखा**"** या आखिरी क्षितिज है, जहाँ धरती आसमान से मिलती है।
- यह क्षेत्र असामान्य चट्टानी संरचनाओं वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
- यहाँ की हवा स्वच्छ है, आसमान साफ है, व्यावहारिक रूप से यहाँ कोई शोर नहीं है और महत्त्वपूर्ण यह है कि इस स्थान पर आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी के निशान बहुत कम हैं।

महत्त्व

- यह ऐसा स्थान है, जिसकी तलाश वैज्ञानिकों द्वारा आसमान से आने वाली कमजोर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पता लगाने के लिये किया जा रहा है, वे इसे रेडियो क्वाइट (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पन्न संकेतों का वस्तुतः कोई हस्तक्षेप नहीं है) कहते हैं।
- यह वह स्थान है जहाँ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (**RRI**), बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करने का निर्णय किया है, जिसके परिणाम (जिनके एक माह के अंदर आने की संभावना है) प्राचीन ब्रहमांड के संदर्भ में हमारी जानकारी को विशेष रूप से बदल सकते हैं। विशेष रूप से उन घटनाओं के बारे में, जिनके कारण बिग-बैंग के **3,80,000** साल बाद प्रथम तारों (**stars**) का निर्माण हुआ।
- बड़े आकार के डोरनोब से जुड़े हुए और विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए एंटीना, जो कि गोलाकार एल्यूमिनियम की प्लेट जैसा दिखाई देता है, उसका व्यास लगभग डेढ़ मीटर है। इसके माध्यम से आसमान से आने वाले रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक हाल ही में टिंबकटू में थे।
- एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी (**ASU**) के शोधकर्त्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए चौंकाने वाले अवलोकनों को सत्यापित करने के लिये वैज्ञानिक संशोधित उपकरणों के साथ दोबारा टिंबकटू का भ्रमण करेंगे।
- वैज्ञानिकों के समूह ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के स्पेक्ट्रम में असामान्य और अस्पष्ट आकार की सूचना दी थी, जो इनके उपकरणों द्वारा इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही स्थान पर ग्रहण की गई थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि या CMB

ये प्रारंभिक ब्रह्मांड (जब पदार्थ का निर्माण भी नहीं हुआ था) के समय से होने वाला एक सर्वव्यापी, लेकिन कमज़ोर विकिरण है। यह विकिरण ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले तारों या आकाशगंगाओं जैसे किसी पिंड द्वारा नहीं होता है। ये एक ऐसे समय से हो रहा है, जब इन सारी चीज़ों का निर्माण होना शेष था। यह विकिरण प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक अवशेष है, जब पदार्थ और विकिरण ऊष्मागतिक संतुलन में थे। जब भी हम CMB को देखते हैं तो वास्तव में हम उस ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं, जो बिग-बैंग के 3,80,000 साल बाद था।

CMB का योगदान

- **CMB, 1964** में अपनी खोज के समय से ही प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिये महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।
- इसमें शामिल संकेतों से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड गर्म, घने और समान गैसों, अधिकांशतः हाइड्रोजन से भरा था और जब गैसों की ये बूँदें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ आईं तो सबसे पहले तारों का निर्माण हुआ था। यह वह समय था, जब दृश्य प्रकाश ने ब्रहमांड में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। वैज्ञानिक इस काल को ब्रह्मांड की शुरुआत (**cosmic dawn)** की संज्ञा देते हैं।
- **CMB** द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम बहुत ही सहज है। हालाँकि, इसके आकार में थोड़ी हरकत या विकृतियाँ होती हैं। इसमें से प्रत्येक हरकत में प्रथम तारे के निर्माण के समय होने वाली विशेष घटना की जानकारी सन्निहित होती है। ब्रह्मांड का मौजूदा सिद्धांत इन हरकतों के आकार की भविष्यवाणी करता है, जिन्हें विभिन्न परिदृश्यों में **CMB** स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। इस प्रकार अब तक **CMB** स्पेक्ट्रम का सिद्धांत तथा निरीक्षण पूर्ण रूप से मेल खाते हैं।

विश्व थैलेसीमिया दिवस

8 मई को पूरी दुनिया में विश्व थैलेसीमिया दिवस (World Thalassemia Day) के रूप में मनाया जाता है।

थैलेसीमिया क्या है?

- थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार (**Chronic Blood Disorder)** है। यह एक आनुवंशिक विकार है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों (**RBC)** में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है।
- इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिये हर दो से तीन सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- थैलेसीमिया माता-पिता के जींस के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है।
- प्रत्येक लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन के अणुओं की संख्या **240** से **300** मिलियन के बीच हो सकती है।
- रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी अंतःक्रिया पर निर्भर करती है।

थैलेसीमिया के प्रकार

थैलेसीमिया माइनर- थैलेसीमिया माइनर में हीमोग्लोबिन जीन गर्भधारण के दौरान विरासत में मिलता है, इसमें एक जीन माँ से और एक पिता से मिलता है। एक जीन में थैलेसीमिया के लक्षण वाले लोगों को वाहक के रूप में जाना जाता है या उन्हें थैलेसीमिया माइनर ग्रस्त कहा जाता है। थैलेसीमिया माइनर कोई विकार नहीं है। इसमें व्यक्ति को केवल हल्का एनीमिया होता है।

थैलेसीमिया इंटरमीडिया- ये ऐसे मरीज़ हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर लक्षण तक मिलते हैं।

थैलेसीमिया मेजर- यह थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रूप है। ऐसा तब होता है, जब एक बच्चे को माता-पिता प्रत्येक से दो उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बच्चे में जीवन के पहले वर्ष के दौरान गंभीर एनीमिया के लक्षण विकसित होते हैं। जीवित रहने के लिये उन्हें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) या नियमित रूप से रक्त चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रायः थैलेसीमिया के मरीज़ ग्रस्त होते हैं:

- एनीमिया
- कमजोर हड्डियाँ
- देर से या मंद विकास
- शरीर में लौह की अधिकता
- अपर्याप्त भूख
- बढ़ा हुआ प्लीहा या यकृत
- पीली त्वचा

आयोग ने दवाओं के लिए आधुनिक पशु-मुक्त परीक्षण को मंजूरी दी

हाल ही में फार्माकोपिया आयोग ने दवा निर्माताओं को आधुनिक पशु-मुक्त परीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस कदम से दवा परीक्षणों के दौरान पशुओं द्वारा सही जाने वाली प्रताड़नाओं से काफी हद तक निजात मिल पाएगी।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय फार्माकोपिया का **2018** का संस्करण, जो उन दवाओं के परीक्षण पर दिशा-निर्देश जारी करता है, जिनका भारत में निर्माण और विपणन किया जाता है, में आयोग ने संशोधन कर दिया है।
- अब खरगोश पर किये जाने वाले पाइरोजन परीक्षण (**pyrogen test**) और गिनी पिग (**guinea pig**) तथा चूहों पर किये जाने वाले असामान्य विषाक्तता परीक्षण (**abnormal toxicity test**) को टेस्ट ट्यूब में संपन्न किया जा सकेगा।
- इस संस्करण के दिशानिर्देश **1** जुलाई, **2018** से प्रभाव में आएंगे।
- आयोग का कहना है कि दवा निर्माण में मानव सुरक्षा के साथ-साथ पशु सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यदि वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से पशुओं को पीड़ित होने से बचाया जा सकता है तथा वे भी समान रूप से प्रभावी भी हैं तो उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
- पाइरोजन परीक्षण अशुद्धता या उन पदार्थों की जाँच के लिये किया जाता है, जो प्रतिकूल दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत दवा को खरगोश के अंदर प्रवेश कराया जाता है और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है।
- असामान्य विषाक्तता परीक्षण वैक्सीन बनाने में संभावित खतरनाक जैविक प्रदूषण की जाँच के लिये किया जाता है। यह परीक्षण दवा को मार्केटिंग के लिये अनुमोदित करने से पहले किया जाता है।
- इस परीक्षण के अंतर्गत चूहे या गिनी पिग के शरीर में टीके के माध्यम से वैक्सीन पहुँचाई जाती है और वैज्ञानिक यह निरीक्षण करते हैं कि क्या दवा से किसी जानवर की मृत्यु हुई।

नया आदेश

- भारतीय फार्माकोपिया आयोग के नए आदेश द्वारा, पाइरोजन टेस्ट को जीवाणुरोधी एंडोटॉक्सिन परीक्षण (**bacterial endotoxin test**) या एक मोनोसाइट सक्रियण परीक्षण (**monocyte activation test**) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे टेस्ट ट्यूबों में संपन्न किया जा सकता है।
- टीका निर्माता, नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी (**National Control Laboratory**) से अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करके असामान्य विषाक्तता परीक्षण संबंधी छूट के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- पेटा (**People for the Ethical Treatment of Animals**) पिछले कई वर्षों से जानवरों पर किये जाने वाले परीक्षण के क्रूर तरीकों को बंद करने के लिये दबाव डालता रहा है।
- असामान्य विषाक्तता के लिये ऐसे परीक्षण अमेरिका और यूरोपीय फार्माकोपिया द्वारा भी बंद कर दिये गए हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सामाजिक मुद्दे

तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ रूपरेखा समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिये तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) के रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की स्वीकृति दी।

- यह धूमपान और तंबाकू चबाने या धुआँ रहित तंबाकू (**Smokeless Tobacco - SLT)** के रूपों में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते की धारा **15** के अंतर्गत समझौता वार्ता (**World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC)** को अंगीकार करना है।
- भारत डब्लयूएचओ एफसीटीसी समझौते में शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- प्रोटोकॉल में विभिन्न पक्षों के दायित्व निर्धारित किये गए हैं। इसमें कहा गया है कि सप्लाई चेन नियंत्रण उपाय सभी पक्षों द्वारा अपनाए जाने चाहिये।
- इन उपायों में तंबाकू उत्पाद बनाने के लिये लाइसेंस, तंबाकू बनाने के लिये मशीनरी, उत्पादन में शामिल पक्षों के लिये उचित उद्यम, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग व्यवस्था, रिकॉर्ड कीपिंग और सुरक्षा शामिल हैं।
- ई-कॉमर्स, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्माण तथा शुल्क मुक्त बिक्री में शामिल पक्षों द्वारा कदम उठाए जाएंगे।
- प्रोटोकॉल में अपराधों, ज़ब्ती तथा ज़ब्त उत्पादों के निस्तारण जैसे प्रवर्तन उपायों को शामिल किया गया है।
- इसमें सूचना साझा करने, गोपनीयता बनाए रखने, प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी और प्रौद्योगिकी मामलों में तकनीकी सहायता और सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- नियमों को मज़बूत बनाकर तंबाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से व्यापक तंबाकू नियंत्रण को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
- इससे तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल कम होगा, परिणामस्वरूप बीमारी के बोझ में कमी आएगी और तंबाकू के इस्तेमाल के कारण होने वाली मृत्यु में भी कमी होगी।
- ऐसी संधि को मान लेने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वर्तमान व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई योग्य विकल्प उपलब्ध होंगे।
- भारत तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी है और ऐसे अवैध व्यापार को नियंत्रित करने में विश्व सीमा शुल्क संगठन (**World Custom Organization)** सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित करने में समक्ष होगा।
- तंबाकू के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मज़बूत बनाने में तंबाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से संबंधी प्रोटोकॉल पथ-प्रदर्शक पहल है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नया कानूनी उपाय भी है।
- यह तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार का मुकाबला करने और उसे समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिये कानूनी पहलुओं को मज़बूत बनाने का व्यापक औजार है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक धूम्रपान-विरोधी समझौता किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी **192** सदस्य देशों ने तंबाकू-नियंत्रण पर इस संधि के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
- तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन समझौता डब्ल्यूएचओ के तत्त्वावधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है।
- इसके तहत तंबाकू के विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिये जाएंगे।
- इस समझौते के तहत, पाँच वर्षों के अंदर तंबाकू के विज्ञापनों और प्रायोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
- सिगरेट के पैकेटों पर कम से कम एक-तिहाई हिस्से पर धूम्रपान से सेहत को पहुँचने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी देना आवश्यक होगा, जिसमें धूम्रपान से रोग-ग्रस्त फेफड़ों की तस्वीरें भी शामिल होंगी।

उद्देश्य

- **FCTC** का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण के लिये आपूर्ति मांग कटौती उपायों की रूपरेखा उपलब्ध कराना है।
- **WHO FCTC** की धारा **15** में शामिल प्रमुख तंबाकू आपूर्ति कटौती रणनीति में सभी तरह के अवैध व्यापार यानी तस्करी, अवैध निर्माण तथा जालसाजी सहित सभी तरह के अवैध व्यापार की समाप्ति की परिकल्पना की गई है।
- इसी के अनुरूप यह प्रोटोकॉल विकसित किया गया है और सम्मेलन में शामिल पक्षों (**Conference of Parties - COP**) द्वारा अपनाया गया है।
- सीओपी एफसीटीसी की गवर्निंग बॉडी है।
- प्रोटोकॉल दस भागों में विभाजित है और इसमें **47** धाराएँ है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 2019-20 तक जारी

देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana - PMSSY) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसके लिये 14,832 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
- पीएमएसएसवाई की घोषणा **2003** में की गई थी।

उद्देश्य

- देश के विभिन्न भागों में सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की विसंगतियों को दूर करना।
- विशेष रूप से अविकसित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सीय शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार करना।
- देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना।

पीएमएसएसवाई के दो घटक हैं

- एम्स (**AIIMS**) जैसे संस्थानों की स्थापना।
- राज्य सरकार के वर्तमान मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन (**Upgradation**)

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इसका प्रभाव क्या होगा?

- नए एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव आएगा, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के पेशेवर लोगों की कमी दूर होगी।
- नए एम्स का निर्माण पूरी तरह केंद्र सरकार के धन से किया जाएगा।
- नए एम्स का संचालन और रख-रखाव भी पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- उन्नयन कार्यक्रम में व्यापक रूप से सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉकों/ट्रामा सेंटरों आदि के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करना और केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर वर्तमान तथा नई सुविधाओं के लिये चिकित्सा उपकरणों की खरीद करना है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने बेहतर स्वास्थ्य और आवास सुविधाएँ प्रदान करने के लिये श्रमिकों को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

नई पहल की शुरुआत

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ईपीएफओ (**Employees' Provident Fund Organisation – EPFO)** और केंद्रीय श्रम आयुक्त (**Central Labour Commissioner - CLC)** द्वारा प्रारंभ की गई नई पहलों का शुभारंभ किया तथा ईएसआईसी (**Employees' State Insurance)** और ईपीएफओ को आदर्श नियोक्ताओं का पुरस्कार प्रदान किया।
- नई पहलों में ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किये गए समवर्ती लेखा सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके तहत भुगतान, प्राप्तियाँ और दावों के निपटारे, पेंशन के भुगतान, पीएफ संचय के हस्तांतरण आदि लेन-देन वास्तविक समय पर किये जा सकेंगे।
- पुनर्विकास परियोजना की अनुमानित लागत **22.47** करोड़ रुपए है और कार्य पूरे होने की अनुमानित अवधि **22** महीने है।

गैर-छूट वाले क्षेत्र एवं छूट वाले क्षेत्र

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेट लाईफ ग्लोबल ऑपरेशंस स्पोर्ट सेंटर और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड को छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में मॉडल नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया।
- गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (वीपी/बीआरडी/**5238)** को गैर-छूट वाले क्षेत्र में सम्मानित किया गया।
- गैर-छूट वाले क्षेत्र में दो नियोक्ता ऐसे हैं, जिनके पास **5000** से अधिक कर्मचारी हैं और जिन्होंने पिछले **12** महीनों में भविष्य निधि बकाया रकम का समय पर भुगतान किया है और 'आधार' सत्यापित कर्मचारी विवरण प्रदान करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का चयन उनके ऑनलाइन रिटर्न डैशबोर्ड में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया गया है।
- चयनित किये गए प्रतिष्ठान ने ऑनलाइन रैंकिंग प्रणाली में पिछले **7** महीने में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है।

सीएलसी ने की कई कार्यक्रमों की शुरुआत

- सीएलसी ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) पर **8** श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, एसएसपी के माध्यम से निरीक्षण की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम **1996,** आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम **1979** तथा अनुबंध श्रम अधिनियम **1970** के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना आदि।
- इन प्रतिष्ठानों ने समय पर योगदान का भुगतान किया है और **100%** योग्य कर्मचारियों को कवर किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

न्यूजलेटर चाइल्ड होप

- इस अवसर पर एक न्यूज़लेटर चाइल्ड होप जारी किया गया। इसमें पूरे देश के एनसीएलपी ज़िलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों की सफल कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख किया जाता है।
- चाइल्ड होप का उद्देश्य बाल श्रम से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाना है। इस अवसर पर वीवीजीएनएलआई पॉलिसी परिप्रेक्ष्य भी जारी किया गया।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का होगा पुनर्गठन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi sectoral Development Programme-MsDP) का प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram-PMJVK) के रूप में नामकरण करने तथा इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। समिति ने इसे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दी है।

इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा?

- पुनर्गठित कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। इससे पिछड़ेपन के मामले में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई में कमी आएगी।
- कार्यक्रम में लचीलेपन को शामिल किये जाने से महत्त्वपूर्ण विषयों के समाधान में मदद मिलेगी और इससे अल्पसंख्यक समुदायों की अधिक समावेशिता के साथ तेज़ी से कार्यक्रम लागू होगा।
- अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों तथा गाँवों के क्लस्टरों को चिन्हित करने के मानक को अल्पसंख्यक समुदायों का जनसंख्या प्रतिशत मानक घटा कर विवेकसंगत बनाया गया है और निम्नलिखित तरीकों से पिछड़ेपन के मानकों को पूरा किया गया है:
  - ✓ पहले केवल उन शहरों को अल्पसंख्यक सघनता वाला माना जाता था, जो बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक मानकों में पिछड़े थे। अब दोनों में से कोई एक मानक वाले शहर अल्पसंख्यक सघनता वाले शहर माने गए हैं।
  - ✓ पहले गाँवों के वैसे क्लस्टर सघनता वाले माने जाते थे, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय की कम से कम आबादी 50 प्रतिशत हो, लेकिन अब जनसंख्या मानक को घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
  - ✓ मानकों को तर्कसंगत बनाए जाने से समुदायों के समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द्र में मदद मिलेगी।
- **PMJVK** के अंतर्गत कवर किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की तुलना में **57** प्रतिशत अधिक होगा।
- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में देश के **196** ज़िले कवर किये गए थे, जबकि **PMJVK** में देश के **308** ज़िले कवर किये जाएंगे।

इसके व्यय आवंटन का आधार क्या होगा?

- योजना का धन पोषण मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। व्यय विभाग की व्यय वित्त समिति ने इस कार्यक्रम को **3,972** करोड़ रुपए की लागत से **PMJVK** के साथ जारी रखने की सिफारिश की है।
- **2017-18** में **1200** करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम उसी रूप में लागू किया गया, जैसा कि **12**वीं योजना अवधि के दौरान लागू करने के लिये केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया था।
- योजना में निर्धारित पुनरावर्ती/रख-रखाव व्यय राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश/संगठन द्वारा वहन किये जाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इसके लाभार्थी कौन-कौन होंगे?

- अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों की पहचान **2011** की जनगणना के आधार पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की ठोस आबादी की मौजूदगी के आधार पर की गई है।
- **2011** की जनगणना डाटा के अनुसार अल्पसंख्यक सघनता वाले **25** हज़ार से अधिक आबादी वाले अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों, अल्पसंख्यक सघनता वाले ब्लॉकों तथा गाँवों के क्लस्टर अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी का कवरेज विस्तार करेंगे।

कवर किये गए राज्य/ज़िले

- **PMJVK** के **32** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के **308** ज़िलों के अल्पसंख्यक सघनता वाले ज़िला मुख्यालयों, अल्पसंख्यक सघनता वाले ब्लॉकों, अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों में लागू किया जाएगा।
- क्रियान्वयन के लिये यूनिट क्षेत्र में अल्पसंख्यक सघनता वाले **109** ज़िला मुख्यालयों, **870** ब्लॉकों तथा **321** शहर शामिल होंगे।
- यह योजना अल्पसंख्यक सघनता वाले गाँवों के पिछड़े क्लस्टरों में भी लागू की जाएगी। **PMJVK** के मानक के अनुसार, बहुसंख्यक सघनता वाले गाँवों के पिछड़े क्लस्टरों की पहचान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रस्ताव के आधार पर की जाएगी।
- **PMJVK** के अब पाँच और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों- हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, गोवा तथा पुदुच्चेरी को कवर करेगा।
- **PMJVK** के अंतर्गत **115** आकांक्षी ज़िलों में से **61** ज़िलों के अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्र कवर किये गए हैं।

कार्यक्रम निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ बनाना

- जियो-टैगिंग के साथ ऑनलाइन मॉड्यूल शामिल करके निगरानी व्यवस्था, पारदर्शिता तथा सूचना प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रावधान मज़बूत बनाए गए हैं।
- **PMJVK** में धन उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करने के लिये कार्यक्रम लागू करने वाली सभी एजेंसियों को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (**Public Finance Management System - PFMS**) के अंतर्गत लाने का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को विवेकसंगत बनाने के लिये नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत **MCDs** (**Minority Concentration Districts - MCDs**) को एक प्रमुख योजना के रूप में चिन्हित किया गया है।
- यह कार्यक्रम **2008-2009** में चिन्हित अल्पसंख्यक सघनता वाले उन **90** ज़िलों में लॉन्च किया गया था, जिनमें अल्पसंख्यक आबादी कम से कम **25** प्रतिशत है और पिछड़ेपन के एक या दोनों मानकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हों, ताकि सामाजिक, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जा सकें।
- **12**वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिये जून **2013** में एमएसडीपी को पुनर्गठित किया गया और क्रियान्वयन क्षेत्र के स्थान पर अल्पसंख्यक सघनता वाले ब्लॉकों, शहरों तथा गाँवों के क्लस्टर लाए गए।
- **MsDP** मुख्य रूप से चिन्हित पिछड़े अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तौर-तरीकों, दिशा-निर्देशों और धन व्यवस्था के आधार में परिवर्तन किये बिना मज़बूती प्रदान करके विकास खाइयों को पाटने के लिये तैयार किया गया था।

जनजातीय ज़िलों में वन धन विकास केंद्रों का विस्तार

प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2018 को बीजापुर में वन धन विकास केंद्र का शुभारंभ करने तथा जन धन, वन धन तथा गोवर्धन योजनाओं को एकजुट करने के उनके आग्रह पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के जनजातीय ज़िलों में वन धन विकास केन्द्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। इस कार्य हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तय करने का कार्य किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

योजना के अनुसार

- योजना के अनुसार, ट्राइफेड गौण वनोत्पाद (एमएफपी) आधारित बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह **10** स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) का केंद्र होगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में **30** एमएफपी एकत्रित करने वाले शामिल होंगे।

उद्देश्य

- इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर एमएफपी में मूल्य वृद्धि कर ज़मीनी स्तर पर जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करना है।
- इसके तहत जनजातीय समुदाय के वनोत्पाद एकत्रित करने वालों और कारीगरों के आजीविका आधारित विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- इस पहल के ज़रिये गैर लकड़ी वनोत्पाद की मूल्य श्रृंखला में जनजातीय लोगों की भागीदारी वर्तमान **20** प्रतिशत से बढ़कर लगभग **60** प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- एमएफपी या अधिक उपयुक्त के रूप में उल्लिखित गैर-लकड़ी वनोत्पाद (एनटीएफपी) देश के लगभग **5** करोड़ जनजातीय लोगों की आय और आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
- गौरतलब है कि देश में अधिकतर जनजातीय ज़िले वन क्षेत्रों में हैं। जनजातीय समुदाय पारंपरिक प्रक्रियाओं से एनटीएफपी एकत्रित करने और उनके मूल्यवर्धन में पारंगत होते हैं।

प्रस्ताव क्या है?

- देश के वन क्षेत्रों के जनजातीय ज़िलों में दो वर्ष में लगभग **3,000** ऐसे वन धन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **50** प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले **39** ज़िलों में प्राथमिकता के आधार पर यह पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद धीरे-धीरे देश के अन्य जनजातीय ज़िलों में इनका विस्तार किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया कि वन धन एसएचजी के प्रतिनिधियों से गठित प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर केंद्रों का प्रबंधन करेगी।

नोडल एजेंसी

- यह योजना केन्द्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण विभाग के तौर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण एजेंसी के रूप में ट्राइफेड के माध्यम से लागू की जाएगी।
- योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर एमएफपी के लिये राज्य नोडल एजेंसी और ज़मीनी स्तर पर ज़िलाधीश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संबंधित अधिनियम के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, **1996** और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, **2006** के प्रावधानों के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ सुधार किये हैं।
- जिनके तहत उनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले एमएफपी पर जनजातीय ग्राम सभा को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये गए हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

- **2014** में एमएफपी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत चयनित एमएफपी एकत्रित करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है।
- हालाँकि यह कदम सही दिशा में है, लेकिन एमएफपी से जुड़े अधिकतर कारोबार गैर-संगठित है, जिसके कारण वनोत्पाद एकत्रित करने वालों को कम मूल्य मिल पाता है और उत्पादों के सीमित मूल्यवर्धन से अधिक उत्पाद व्यर्थ हो जाते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसलिये एमएफपी की आपूर्ति श्रृंखला के आगे और पीछे की कड़ी को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करने के लिये अधिक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है।

वन धन पहल के मुख्य बिंदु

- इकाई स्तर पर वनोत्पाद एसएचजी द्वारा एकत्रित किये जाएंगे और लगभग **30** सदस्यों का वन धन विकास 'समूह' होगा।
- एसएचजी क्षेत्र में उपलब्ध काटने और छानने, सजाने, सुखाने और पैक करने जैसे उपकरणों का उपयोग कर प्राथमिक स्तर पर एमएफपी का मूल्यवर्धन करेंगे।

एक आदर्श वन धन विकास समूह में निहित सुविधाएँ

- आवश्यक भवन/बुनियादी ढाँचा सुविधा लाभार्थियों में से किसी एक के आवास/आवास के हिस्से या सरकारी/ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किये जाने का प्रावधान।
- क्षेत्र में उपलब्ध एमएफपी के आधार पर काटने, छानने, सजाने, सूखाने जैसे छोटे औजार/टूल किट।
- प्रशिक्षण के लिये कच्चे माल के प्रावधान के साथ **30** प्रशिक्षुओं के बैच के लिये पूरी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण सुविधाएँ और ट्रेनी किट (बैग, पैड, पेन, विवरणिका, प्रशिक्षण पुस्तिका, पुस्तिका आदि शामिल) की आपूर्ति।
- वित्तीय संस्थानों, बैंकों, एनएसटीएफडीसी के साथ समझौतों के ज़रिये एसएचजी के लिये कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया गया है।
- एक ही गाँव में ऐसे **10** एसएचजी के क्लस्टर से वन धन विकास केंद्र बनेगा।
- एक केंद्र में समूह के सफल संचालन के आधार पर अगले चरण में समूह के सदस्यों के उपयोग के लिये भवन, गोदाम जैसी सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ (पक्का केंद्र) उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- इस पहल के अंतर्गत कवर किये जा सकने वाले प्रमुख गौण वनोत्पादों की सूची में इमली, महुआ के फूल, महुआ के बीज, पहाड़ी झाड़ू, चिरौंजी, शहद, साल के बीज, साल की पत्तियाँ, बाँस, आम (आमचूर्ण), आँवला (चूरन/कैंडी), तेज़ पत्ता, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, दालचीनी आदि शामिल हैं। इनके अलावा मूल्यवर्धन के लिये संभावित अन्य एमएफपी शामिल किये जा सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation